

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1. पृष्ठभूमि (सूचना का अधिकार अधिनियम-2005)

त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े नागरिकों को उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्त जानकारी उन्हें सरलतम व सुगमता से उपलब्ध हो सके इसके लिए तैयार की गई यह हस्तपुस्तिका उपयोगी होगी। सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोकहित में संगत सूचना प्राप्त करने में किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुस्तिका में त्रिस्तरीय पंचायती राज के अन्तर्गत शासकीय सभी विषयों की जानकारी संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई है। पंचायती राज के तीनो स्तरों जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पृथक पृथक व्यवस्था की गई है।

हस्तपुस्तिका के माध्यम से लोकहित से संबंधित सूचना प्राप्त की जा सकती है।

1.2. हस्तपुस्तिका का उद्देश्य

प्रशासन में खुलापन पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्तन करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित से संगत सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वंत्रता का उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लागू किया जा रहा है, उक्त अधिनियम की अधिक से अधिक नागरिकों को जानकारी दे एवं हर नागरिक अधिनियम के तहत सरलता से लोकहित में जानकारी प्राप्त कर सकें।

1.3. यह हस्तपुस्तिका निम्न व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है।

हस्तपुस्तिका ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों एवं पंचायती राज से जुड़े पदाधिकारियों त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़ी संस्थाएं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा इनसे से जुड़े संगठन के लिए उपयोगी होगी।

1.4. हस्तपुस्तिका का प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हेतु निर्धारित प्रारूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित समस्त जानकारियाँ प्रदर्शित हैं ।

1.5. परिभाषाएं (हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गयी शब्दावली)

1. लोक प्राधिकरण :- लोक प्राधिकरण से आषय जिला पंचायत, भोपाल है
2. त्रिस्तरीय पंचायतीराज :- से आषय ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला स्तर पर चुनी हुई संस्था त्रिस्तरीय पंचायतीराज है ।
3. लोक सूचना अधिकारी :- से आषय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल है ।
4. सहायक लोक सूचना अधिकारी :- से आषय परियोजना अधिकारी जिला पंचायत भोपाल है ।

1.6. हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारी के लिए संपर्क व्यक्ति

जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत (लोक सूचना अधिकारी) या संबंधित

जानकारी देने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी।

जनपद स्तर पर 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत फंदा (लोक सूचना अधिकारी) या संबंधित जानकारी देने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत बैरसिया (लोक सूचना अधिकारी) या संबंधित जानकारी देने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी।

ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत शिक्षा संगठक एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव

1.7. हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क

सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा आवेदन में मांगी जाने वाली जानकारी का पूर्ण विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का निर्धारण शासन द्वारा किया जा रहा है, आवेदन मौखिक रूप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

अध्याय-2 (मैनुअल-1) संगठन की विषष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुख योजनायें जो उसे सौंपी गई हैं का क्रियान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिषन/विजन

भारत शासन एवं म0 प्र0 शासन की जनकल्याणी एवं ग्रामीण विकास के समग्र विकास के लिए संचालित योजनायें जो उसे सौंपी गई हैं का पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना ओर शासन के उद्देश्यों को पूरा करना।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास ओर इसके गठन का प्रसंग

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गॉधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण ओर पंचायत राज को मूर्त रूप देने एवं स्वावलम्बी बनाने की अभिव्यक्ति की थी, स्वायत शासी संस्थाओं को पहली बार संवैधानिकता की हैसियत संविधान में संषोधन होकर प्रदान की गई तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने समूचे भारत में इस दिषा में सक्रिय पहल करने का प्रथमतः गौरव प्राप्त किया। मध्यप्रदेश राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि पंचायती राज दायित्व बोध से सम्पन्न होकर ग्राम स्वराज स्थापित करें। ग्रामों का विकास हो ग्राम आर्थिक दृष्टि से विकसित एवं समृद्ध हो राजनीति दृष्टि से राष्ट्र की मेरूदण्ड ग्राम इकाई लोकतांत्रिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गणराज्य में भागीदारी के लिए होनहार भावी पीढी का रचनात्मक सृजन करें।

इसी आषय से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम (संषोधन-2001) म0 प्र0 अनिधिनियम में अध्याय 4 में धारा 42, 42 (क) तथा 43 के प्रावधान किये गये ओर राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग को ग्रामों में, जनपद एवं जिलों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के गठन हेतु निर्वाचन कराने हेतु कानून द्वारा सषक्त किया गया। पंचायत राज को ग्राम स्तर पर ग्राम स्वराज में स्थापित करने का मध्यप्रदेश राज्य सरकार का यह प्रषंसनीय प्रयास है ग्राम न्यायालय भी अनुसूचित

क्षेत्र छोड़कर 26 जनवरी 2001 से म0 प्र0 में प्रवृत्त किया गया है मध्यप्रदेश राज्य की सीमायें अब पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन समझी जायेंगी।

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

पंचायता राज अधिनियम की धारा – 52 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए तथा इसी नीतियों, निर्देशों, अनुदेशों साधारण या विशेष आदेशों के जैसेकि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें । अध्याधीन रहते हुए जिला पंचायत (लोक प्राधिकरण) के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

- (1) शासन से प्राप्त अनुदान व निधियों का संधारण।
- (2) शासन की विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनायें जो उसे सौंपी गई हैं का क्रियान्वयन।
- (3) शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना।
- (4) शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों को पहुँचाने के लिए हितग्राही का चयन।
- (5) ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का सतत मूल्यांकन, निरीक्षण पर्यवेक्षण करना।
- (6) जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, मानिट्रिंग एवं उनका मार्गदर्शन करना।
- (7) पंचायतों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों का जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किया गया कर्मचारी वृंद आता है, उसका प्रशासन करना उनका नियंत्रण करना।

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कर्तव्य

भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रति जवाब देह।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की सीधे सेवा प्रदत्त नहीं की जाती है प्राधिकरण द्वारा केवल भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजनाएँ जो उसे सौंपी गई हो का संचालन/पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाता है।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहाँ लागू हो)

राज्य शासन – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
निदेशालय – विकास आयुक्त कार्यालय म0 प्र0 शासन
संभाग – आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल

जिला – जिला पंचायत भोपाल

ब्लाक – जनपद पंचायत फंदा/ बैरसिया

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाए

लोक प्राधिकरण में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं अतः जनसमुदाय से अपेक्षा है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन कर भेजे।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

विभिन्न स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर एवं कार्यालय में स्थापित शिकायत शाखा के माध्यम से शिकायतों के त्वरित व उचित निराकरण की व्यवस्था की गई है।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)

मुख्य कार्यालय:- जिला पंचायत भोपाल

पुराना सचिवालय शेड-क-3

भोपाल म0 प्र0

ब्लाक स्तर पर:- 1. जनपद पंचायत फंदा

तह-हुजूर पुराना सचिवालय भोपाल

2. जनपद पंचायत बैरसिया

तह0 बैरसिया

जिला भोपाल

संभाग स्तर पर:- आयुक्त कार्यालय भोपाल संभाग भोपाल

पुराना सचिवालय भोपाल

राज्य शासन स्तर पर 1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

वल्लभवन म0 प्र0 भोपाल

2. विकास आयुक्त कार्यालय,

विन्ध्याचल भवन भोपाल

2.12 कार्यालय के खुलने का समय : 10:00 सुबह

कार्यालय के बंद होने का समय: 5:00 शाम

अध्याय-3 (मैनुअल-2)
अधिकारियों ओर कर्मचारियों की शक्तियां एवं
कर्तव्य,

3.1 कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध कराएँ

पद का नाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल
शक्तियाँ	प्रशासकीय 1. पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत में सम्माहित समस्त विभागों पर प्रशासकीय नियंत्रण। 2. जिला पंचायत कार्यालय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
वित्तिय	अधिकारी 1. पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत की समस्त निधियों का आहरण एवं संवितरण हेतु पूर्ण अधिकार।
अन्य	1. भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा सौंपे गयी शक्तिया
कर्तव्य	1. पंचायती राज अधिनियम में उल्लेख अनुसार। 2. 3.

अध्याय-4 (मैनुअल-3)
कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश,
निर्देशिका और अभिलेख

4.1 लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम:- अभिलेख का प्रकार :-

1. पंचायती राज अधिनियम नियम
2. म0 प्र0 शासन मूलभूत नियम नियम/अनुदेश

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने

(नियम, विनियम, अनुदेश,
निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय स्थानीय प्रशासन ओर विकास संबंधी

कार्यों को करने में पंचायती राज

सस्थाओं की भागीदारी प्रभाव पूर्ण

रखे जाने के उद्देश्य से यह

अधिनियम वर्ष 1993 में बनाया गया

है।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका ओर अभिलेख पता :- जिला पंचायत, भोपाल

की प्रति कहां से प्राप्त कर सकते है ँ शेड कं.-3, पुराना सचिवालय,भोपाल

दूरभाष :-0755-2540964

फेक्स :- 0755-2738041

ई0 मेल0-ceozpbho@mp.nic.in

अन्य

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) - शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार।

अध्याय-5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता या जन प्रतिनिधी से परामर्ष के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्ष/भागीदारी का कोई प्रावधान है ँ यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नही)	जनता की सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था	भागीदारी
1	समस्त कार्य	हाँ	त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था	

5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्ष/भागीदारी का कोई प्रावधान है ँ यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हाँ/नही)	जनता द्वारा चुने गये पंचायती राज व्यवस्था अर्न्तगत जनप्रतिनिधि	भागीदारी
1.	प्राधिकरण से संबंधित समस्त विषय	हाँ	जनता द्वारा चुने गये पंचायती राज व्यवस्था अर्न्तगत जनप्रतिनिधि	

अध्याय-6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी साथ ही यह दस्तावेज कहां उपलब्ध रहते हैं ।

लोक प्राधिकरण में जनसामान्य से संबंधित समस्त दस्तावेज व जानकारियाँ निम्नानुसार हैं तथा उक्त समस्त जिला स्तर पर उपलब्ध हैं ।

1. इंदिरा आवास योजना

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	नियंत्रणाधीन / धारक
1	2	3	4	5
1.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजना प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-05	नियत शुल्क का भुगतान करने पर	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. सहायक परियोजना अधिकारी (योजना प्रभारी अधिकारी)
2.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजना तथा उन्नयन पाक्षिक प्रतिवेदन	---	---
3.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जिलेवार ग्रामीण अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार तथा आवासों की जानकारी भेजने बाबत्।	---	---
4.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2003-04	---	---
5.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजना का वर्ष 2003-04 जिलास्तर 3 प्रतिषत मद	---	---
6.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त षिकातयों का निराकरण 2004-05	---	---
7.	सामान्य नस्ती	ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवासहीनों को पट्टो का वितरण	---	---
8.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2004-05	---	---
9.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2005-06	---	---
10.	सामान्य नस्ती	इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जिलास्तर 3 प्रतिषत् मद से कुटीर स्वीकृत बाबत्	---	---

2. राजीव गाँधी जलग्रहण मिषन

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5

1	सामान्य नस्ती	एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम-प्रथम बैच, क्रियान्वयन	सूचना का अधिकार अधिनियम में	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अधिनियम में प्रावधानित शुल्क के अनुसार		2. परियोजना अधिकारी	3. डब्ल्यू0 डी0टी0	

2	सामान्य नस्ती	एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम प्रथम बैच, राषि संबंधी
3	सामान्य नस्ती	एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम— द्वितीय बैच, क्रियान्वयन
4.	सामान्य नस्ती	एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम— द्वितीय बैच, राषि संबंधी
5.	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकोष्ठ गठन के संबंध में
6.	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन दल की नियुक्ति
7.	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र की मासिक जानकारी संबंधी
8.	सामान्य नस्ती	जिलास्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति संबंधी
9.	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र के परियोजना अधिकारी से पत्र व्यवहार
10.	सामान्य नस्ती	प्रचार—प्रसार व सामुदायिक संगठन संबंधी
11	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र में समितियों का पंजीयन
12	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत माहवार केलैण्डर की जानकारी
13	सामान्य नस्ती	शासन के पत्र, अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत को अवलोकन हेतु
14.	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायतों से प्राप्त शिकायती संबंधी
15.	सामान्य नस्ती	जलग्रहण क्षेत्र से संबंधी शासन से प्राप्त पत्र संबंधी
16	सामान्य नस्ती	धनवंतरी योजना संबंधी फाईल
17.	सामान्य नस्ती	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधी
18.	सामान्य नस्ती	जलग्रहण से संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाईल
19.	सामान्य नस्ती	एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम डी0 एफ0 ओ0 राजधानी परियोजना पार्ट—2
20.	सामान्य नस्ती	परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त यू0सी0/टी0एस
21	सामान्य नस्ती	विधानसभा प्रश्न क्रमांक —1693
22	सामान्य नस्ती	समग्र स्वच्छता अभियान
23	सामान्य नस्ती	स्वजलधारा योजना
24	सामान्य नस्ती	गोकुल ग्राम
25	सामान्य नस्ती	जेट्रोफा
26	सामान्य नस्ती	कमिश्नर महोदय के निरीक्षण संबंधी फाईल
27	सामान्य नस्ती	पानी रोको अभियान, पंच—ज अभियान
28.	सामान्य नस्ती	एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

29	सामान्य नस्ती	स्व-सहायता समूहों का सषक्तिकरण
30	सामान्य नस्ती	ग्रामीण भारत समाचार पत्र

3. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	सामान्य नस्ती	उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका (मध्यान्ह भोजन)	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. श्री गौतम मुखर्जी कक्ष प्रभारी अधि० 3. अरुण शर्मा उ० श्रे० लिपिक
2	सामान्य नस्ती	बरखेडा पठानी में मध्यान्ह भोजन भ्रष्टाचार	---	---
3	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन की पंचायतवार जानकारी	---	---
4	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत 2004-05 में खाद्यान्न आवंटन	---	---
5	सामान्य नस्ती	बैरसिया विकासखण्ड की 21 शालाओं में भोजन वितरण न होने बाबत	---	---
6	सामान्य नस्ती	उठाव वितरण एम० डी० एम की जानकारी पत्रक 2004-05	---	---
7	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही बाबत।	---	---
8	सामान्य नस्ती	खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों में न पहुँचाना	---	---
9	सामान्य नस्ती	एम० डी० एम० खाद्यान्न वितरण के बिल 2004-05	---	---
10	सामान्य नस्ती	एम.डी.एम. राषि बंटन बावत !	---	---
11	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन के दौरान आग लगने बावत	---	---
12	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन विविध नस्ती	---	---
13	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन आवंटन एवं व्यय की गई राषि के संबंध में परिवहन भुगतान	---	---
14	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायतो को खाद्यान्न उपलब्ध न कराने बावत	---	---
15	सामान्य नस्ती	एमडीएम के परिवर्तित व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन बावत	---	---
16	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन 07 प्रपत्रो की जानकारी	---	---

17	सामान्य नस्ती	एमडीएम अन्तर्गत बैठक 99.2000	---	---
18	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन षिकायत विविध नस्ती	---	---
19	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन मा.खा.नि. में खाधान्न उठाव एवं वितरण का क्लेम	---	---
20	सामान्य नस्ती	ग्राम डोगरपुर के स्कूल में दलिया न बाटने देने एवं छुआछुत करने एवं वेतन न देने के संबंध में ।	---	---
21	सामान्य नस्ती	एम.डी.एम. की मासिक एवं पाक्षिक जानकारी	---	---
22	सामान्य नस्ती	एम.डी.एम. बजट एवं प्रदाय राषि नस्ती ।	---	---
23	सामान्य नस्ती	जिला स्तरीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम गठित समिति का क्रियान्वयन ।	---	---
24	सामान्य नस्ती	पिपलिया धाकड सकुल केन्द्र में गणवेश वितरण न होने बातव	---	---
25	सामान्य नस्ती	एम.डी.एम अन्तर्गत प्राप्त षिकायत ।	---	---
26	सामान्य नस्ती	उचित मूल्य कमी दुकानो में खाधान्न की सतत आपूर्ति के संबंध में ।	---	---
27	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन नस्ती ।	---	---
28	सामान्य नस्ती	मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन 2005-06	---	---

3. षिक्षा

क. प्रवर्ग दस्तावेज का नाम एवं एक दस्तावेज प्राप्त करने धारक/
सं. पंक्ति में परिचय के लिए प्रक्रिया नियंत्रणाधीन

1	2	3	4	5
1	03-04 षिक्षा कर्मी बंटन का प्रावधान	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया		1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. श्री गौतम मुखर्जी कक्ष प्रभारी अधि0 3. अरुण शर्मा उ0 श्रे0 लिपिक
2	सामान्य नस्ती	शिक्षक के स्थानान्तरण वर्ष 03-04	---	---
3	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षक वेतन भुगतान 01-02	---	---
4	सामान्य नस्ती	शिक्षा कर्मी / संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति 03-04	---	---
5	सामान्य नस्ती	शिक्षा कर्मी को भर्ती में आरक्षण का पालन	---	---

6	सामान्य नस्ती	पतालपुर के संविदा शिक्षको में शिकायत ।	---	---
7	सामान्य नस्ती	स्थानान्तरण आदेश	---	---
8	सामान्य नस्ती	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण	---	---
9	सामान्य नस्ती	मा.शा. गुराडिया के निर्माण की नस्ती	---	---
10	सामान्य नस्ती	श्री ओ.पी. बाजपेयी शा.उ.मा.वि.स्कूल निषातपुरा	---	---
11	सामान्य नस्ती	प्रा.शा.स्कूल निषातपुर	---	---
12	सामान्य नस्ती	शा.उ.मा.पी.जी.बी.टी. द्वारा शिक्षा कर्मी के वेतन संबंधी नस्ती	---	---
13	सामान्य नस्ती	स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मा. शा.के अमले के वेतन भुगतान संबंधी नस्ती ।	---	---
14	सामान्य नस्ती	जर्जर शाला भवन मरम्मत नस्ती	---	---
15	सामान्य नस्ती	अल्का राठौर की जॉच रसूलिया गौसाई	---	---
16	सामान्य नस्ती	माध्यमिक शाला बरखेडीदेव का निरीक्षण	---	---
17	सामान्य नस्ती	मदरसा रफी अहमद किदवई	---	---
18	सामान्य नस्ती	आशीष दुबे, शिक्षाकर्मी ललरिया की बहाली	---	---
19	सामान्य नस्ती	डाईट के पदो की पूर्ति	---	---
20	सामान्य नस्ती	उर्दू शिक्षिको की जानकारी बाबत्	---	---
21	सामान्य नस्ती	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की पद में अनियमितता	---	---
22	सामान्य नस्ती	शिक्षको के विरुद्ध जारी एस0 ए0 एम0 बाबत्	---	---
23	सामान्य नस्ती	दसवा वित्त (शिक्षा) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के पूर्णतः प्रमाण-पत्र	---	---
24	सामान्य नस्ती	माध्यमिक शालाओं के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक के वेतन/मानदेय भुगतान	---	---
25	सामान्य नस्ती	विधान सभा प्रश्न नस्ती शिक्षा/मध्यान्ह भोजन	---	---
26	सामान्य नस्ती	अशासकीय शालाओं का निरीक्षण नस्ती	---	---
27	सामान्य नस्ती	बैरागढ दशहरा मैदान आतिषबाजी हेतु आवंटित करने बाबत्	---	---
28	सामान्य नस्ती	शिकायत संबंधी नस्ती 2004-05	---	---
29	सामान्य नस्ती	उर्दू शिक्षक पदस्थ होने बाबत्	---	---
30	सामान्य नस्ती	शिक्षाकर्मी विविध नस्ती	---	---

31	सामान्य नस्ती	वर्ष 2003-04 शालाओं के कार्य दिवस में प्रषिक्षण आयोजित ना करने बाबत्	---	---
32	सामान्य नस्ती	डी0 पी0 छतवानी, सहा0 ग्रेड-3 को वापस करने बाबत्	---	---
33	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत नजीराबाद के विरुद्ध षिकायत	---	---
34	सामान्य नस्ती	सीमा दीक्षित के पदांकन के संबंध में।	---	---
35	सामान्य नस्ती	जसलोक उ0 मा0 वि0 की जाँच बाबत्	---	---
36	सामान्य नस्ती	साधना श्रीवास्तव सहा षिक्षक के स्थानांतरण बाबत्	---	---
37	सामान्य नस्ती	संविदा शाला षिक्षक की नियुक्ति में अनियमितताएँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी फंदा	---	---
38	सामान्य नस्ती	जनपद बैरसिया में षिक्षाकर्मी की नियुक्ति में अनियमितताएँ 1996-97	---	---
39	सामान्य नस्ती	शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का सर्वेट क्वाटर रिक्ती बाबत्	---	---
40	सामान्य नस्ती	अम्बिका पाण्डे षिक्षाकर्मी वर्ग-3 को विकलांग भत्ता स्वीकृति बाबत्	---	---
41	सामान्य नस्ती	फतेहसिंह राजपूत की नियुक्ति बाबत् (मुख्यमंत्री से प्राप्त आवेदन)	---	---
42	सामान्य नस्ती	संविदा शाला षिक्षकों की भर्ती नियम 05	---	---
43	सामान्य नस्ती	विकासखण्ड विद्यालय स्थित विद्यालय में प्रवेश	---	---
44	सामान्य नस्ती	रेखा गोपाल त्रिपाठी की सेवापुस्तिका की नस्ती	---	---
45	सामान्य नस्ती	वासूदेव गोपलानी के स्थानांतरण बाबत्	---	---
46	सामान्य नस्ती	जे0 पी0 शर्मा, सहा0 षिक्षक के विरुद्ध विभागीय जाँच	---	---
47	सामान्य नस्ती	अर्चना केलकट्टा के स्थानांतरण नस्ती	---	---
48	सामान्य नस्ती	षिक्षाकर्मियों के स्थानांतरण बाबत्	---	---
49	सामान्य नस्ती	शाला पत्रिका में संदेश देने बाबत्	---	---
50	सामान्य	स्थानांतरण हेतु आवेदन जिला षिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने नस्ती	---	---
		बाबत्।		
51	सामान्य नस्ती	ग्राम स्तर पर शासन को मुद्रण करने बाबत्	---	---
52	सामान्य नस्ती	विविध नस्ती	---	---
53	सामान्य नस्ती	लक्ष्मी नारायण दुबे, सहा0 षिक्षक की विभागीय जाँच	---	---
54	सामान्य नस्ती	स्थानांतरण संबंधी विविध नस्ती	---	---

55	सामान्य नस्ती	युक्तियुक्त करण के अन्तर्गत स्थानांतरण के विरुद्ध याचिका	---	---
56	सामान्य नस्ती	शिक्षाकर्मियों का वेतन वर्ष 2004-05	---	---
57	सामान्य नस्ती	कुमारी प्रेरणा डेहरिया की अंकसूची में संशोधन	---	---
58	सामान्य नस्ती	सुभाष स्कूल प्रागंग में स्टार नाईट के आयोजन बाबत्	---	---
59	सामान्य नस्ती	भोपाल जिले में संचालित हाई/हायरसेकेण्डरी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण संस्थित संबंधित नस्ती	---	---
60	सामान्य नस्ती	जवाहर नवोदय विद्यालय रातीबढ़ की जॉच	---	---
61	सामान्य नस्ती	स्कूल प्रागंग आवंटन नस्ती 2003-04	---	---
62	सामान्य नस्ती	स्कूल प्रागंग आवंटन नस्ती 2005-06	---	---
63	सामान्य नस्ती	म0 प्र0 कीडा परिषद जिला पंचायत ट्राफी प्रतियोगिता आयोजन बाबत्।	---	---
64	सामान्य नस्ती	अक्षय उर्जा/सौर उर्जा से संचालित लालटेन जिले की ग्राम पंचायतों को प्रदाय संबंधी नस्ती	---	---
65	सामान्य नस्ती	ग्राम बसाहटो में सुविधा उपलब्ध कराना	---	---

4. षिकायत शाखा

क्र	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
	सामान्य नस्ती	फाईल सूची नाम सहित	सूचना का अधिकार अधि0 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल
1	सामान्य नस्ती	सरपंच/सचिव के विरुद्ध जांच	---	---
		नस्ती	प्रतिवेदन।	
2	सामान्य नस्ती	ग्राम सेमराकलां में पंचायत सचिव की नियुक्ति की सांठ-गाठ से अपने भतीजे को नियम विरुद्ध नियुक्ति करने बावत्।	नियमानुसार नहीं करने व	सरपंच
3	सामान्य नस्ती	श्री जी0पी0 यादव सेवा निवृत्त लेखापाल के सतत्व के भुगतान बावत्।		
4	सामान्य नस्ती	सरपंच द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितताएँ किये जाने बावत, ग्राम गरेठिया।		
5	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत गढ़ाकलां के भ्रष्ट सरपंच को पद से मुक्त कर कानूनी कार्यवाही एवं सभी दस्तावेज हस्तांतरण करने बावत्।		
6	सामान्य नस्ती	इंदिरा आवास योजनांतर्गत शौचालय की राषि देने बावत्।		

7	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत पिपलिया कदीम की सरपंच अनार बाई व उसके पति श्री हरिसिंह विष्वकर्मा द्वारा विधवा पेंशन की पासबुक छीनकर भुगतान न करने बावत्।(श्रीमती चिरोंजीबाई/भैंसखेड़ा)।	---	---
8	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम रूनाहा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच(कोई कार्यवाही नहीं करना)	---	---
9	सामान्य नस्ती	सरपंच द्वारा घोर भ्रष्टाचार एवं शासकीय निधि का दुरुपयोग करने के संबंध में/जमसूरखुर्द।	---	---
10	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत सेमराकलां एवं श्री राम रतन, ग्राम डोंगर गांव की जान माल की रक्षा बावत	---	---
11	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत दिल्लीद की अनियमितताओं के संबंध में।	---	---
12	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत, दामखेड़ा के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने बावत्।(श्री भैरों सिंह ठाकुर द्वारा)	---	---
13	सामान्य नस्ती	श्री अनवर मियां पटवारी सा0 द्वारा जांच कर सरकारी दर्शाने पर शुल्क नपती का जमा करने पर पंचायत द्वारा आवंटन 25*25 पट्टा देने बावत।	---	---
14	सामान्य नस्ती	पंचायत पिपलिया कदीम की सरपंच अनारबाई व उसके पति हरिसिंह विष्वकर्मा द्वारा सांसद निधि से 1.00 लाख रुपये सड़क निर्माण हेतु गवन एवं भ्रष्टाचार की शिकायत बावत्।	---	---
15	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत कढ़ैयाचवर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच शिकायत पर सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीओआर द्वारा निष्पक्ष निर्णय नहीं दिये जाने बावत्।	---	---
16	सामान्य नस्ती	अनुजा विलेज कालोनी में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं मौलिक समस्याओं के निराकरण बावत्।	---	---
17	सामान्य नस्ती	सरपंच रामदयाल, ग्राम पंचायत कनेरा, तह0हुजूर भोपाल द्वारा गरीबों को राशन कार्ड पर गेहूं, शक्कर, तेल आदि न देने बावत्।	---	---
18	सामान्य नस्ती	काषीराम अध्यक्ष मां वैष्णों स्व सहायता समूह ग्राम सेमरा, भैरोपुरा, तह0 बैरसिया द्वारा कलेक्टर महो0 को शिकायत के संबंध में आवेदन पत्र।	---	---
19	सामान्य नस्ती	आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने बावत्।(मानवाधिकार आयोग/कलेक्टर महो0)	---	---
20	सामान्य नस्ती	विभागीय कर्मचारी श्री लीलाधर के ऋण की अदायगी के संबंध में।	---	---
21	सामान्य नस्ती	माध्य0षाला खजूरी सड़क में भृत्य के पद पर 5 वर्ष कार्य करने के उपरांत हटाये जाने बावत।	---	---
22	सामान्य नस्ती	बैंक से जब्त पानी की मषीन दिलाने बावत्।	---	---
23	सामान्य नस्ती	सेवा सहकारी समिति, मर्या0 कुठार द्वारा नलकूप के प्रकरण स्वीकृत करने बावत्।	---	---
24	सामान्य नस्ती	उच्चतर मा0षा0 एवं कन्या प्राथ0षाला ललरिया के संबंध में	---	---
25	सामान्य नस्ती	राहगीरों एवं सहवासियों को उचित रास्ता उपलब्ध कराने बावत्।(मानवाधिकार आयोग)	---	---
26	सामान्य नस्ती	रास्ता अतिक्रमण हटाने बावत्। (ग्रा0पं0रसूलिया)	---	---
27	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत अगरिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच।	---	---

28	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत तूमड़ा की सरपंचव को निर्माण कार्य में घटिया निर्माण करने एवं भ्रष्टाचार एवं तत्काल सरपंच को पद से पृथक करने बावत्।	---	---
29	सामान्य नस्ती	सरपंच पति राजमल द्वारा खाद्यान्न तथा निर्माण कार्य में घपला, ग्राम बंगरोदा।	---	---
30	सामान्य नस्ती	उप सरपंच ग्राम पंचायत सूखी सेवनियां के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बावत्।	---	---
31	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत कनेरा के सरपंच रामदयाल द्वारा राषि का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार बावत्।	---	---
32	सामान्य नस्ती	मेरे पति की मृत्यु उपरांत मेरे कब्जे की भूमि मुझे दिलाने बावत्।	---	---
33	सामान्य नस्ती	स्कूल निर्माण की जांच बावत्, ग्राम मंथन कुण्ड।	---	---
34	सामान्य नस्ती	जन शिक्षा केन्द्र मोगरा नवीन के जन शिक्षक द्वारा भ्रष्टाचार एवं लापरवाही।	---	---
35	सामान्य नस्ती	कुंजीलाल मीणा एवं कमल सिंह मीणा पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत जैतपुरा के द्वारा राषि रूपये 3000/-बावत्(मूल नस्ती जे0डी0पी0 कार्यालय में कलेक्टर महो0 के निर्देश अनुसार वहां चल रही है, छायाप्रति नस्ती उपलब्ध है।)	---	---
36	सामान्य नस्ती	गरीबी रेखा के राषन कार्ड पर लोन निकालकर हड़प जाने बावत्।	---	---
37	सामान्य नस्ती	अनुपातहीन बेनामी संपत्ति की जांच कराने बावत्।	---	---
38	सामान्य नस्ती	षिकायत की सुनवाई न होने बावत् (ग्राम कौड़िया)	---	---
39	सामान्य नस्ती	ग्राम महोली में निर्माण कार्य जांच बावत्।	---	---
40	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत दिल्लीद में बने स्टाप डेम में भयंकर रिसाव की जांच होने बावत्।	---	---
41	सामान्य नस्ती	दोषी भ्रष्ट सरपंच को पद से हटाये जाने बावत् (ग्राम चंदेरी)	---	---
42	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत अमरावत कला की सरपंच/सचिव श्रीमती बुलईमार्का श्री निर्भय सिंह द्वारा ग्रामवासियों की झूठी रिपोर्ट एवं शासकीय राषि का दुरुपयोग व हेराफेरी करने बावत्।	---	---
43	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत झमलिया के सरपंच व उपसरपंच की मनमानी से परेषान।	---	---
44	सामान्य नस्ती	कलेक्टर भोपाल द्वारा दिनांक 16/1/03 को दिये गये आदेश की अवहेलना।	---	---
45	सामान्य नस्ती	(1) सरपंच महोदय द्वारा नाजात तरीके से ग्राम वासियों को धमकाना, पुलिया, तालाब व स्कूल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार (2) ग्राम सेमरी बाज्यापत के सरपंच द्वारा शासकीय राषि का दुरुपयोग की जांच बावत्।	---	---
46	सामान्य नस्ती	सरपंच के कार्य कलापों के संबंध में/ग्राम जाटखेड़ी।	---	---
47	सामान्य नस्ती	नई बस्ती गौतम नगर, बाग मुंगलिया की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।	---	---
48	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत चंदेरी के कोषाध्यक्ष द्वारा 1,93,000/-रूपये शासकीय राषि के दुरुपयोग के संबंध में।	---	---
49	सामान्य नस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत कालापील, ग्राम धुवाखेड़ा विकासखण्ड फन्दा, जिला भोपाल।	---	---

50	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत अमरावत कलां की सरपंच व उसके पति द्वारा गंभीर अनियमितताएँ।	---	---
51	सामान्य नस्ती	श्री आई0एस0षर्मा, लेखापाल के पेंशन बावत्।	---	---
52	सामान्य नस्ती	श्री रमेश गुप्ता, सहा0षिक्षक को तत्काल निलंबित करने बावत्, ग्राम ललरिया।	---	---
53	सामान्य नस्ती	सरपंच से मजदूरी का भुगतान करनवाने बावत्,सरकारी तंत्र की मदद हेतु/रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया।	---	---
54	सामान्य नस्ती	ग्राम सचिवालय की व्यवस्था के संबंध में	---	---
55	सामान्य नस्ती	अभद्र आचरण बावत् (मानवाधिकार आयोग)	---	---
56	सामान्य नस्ती	अकबरपुर के सरपंच द्वारा परेषान करने बावत्।	---	---
57	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत सुरैया नगर के पूर्व सरपंच श्री दयानंद शर्मा द्वारा कार्यो का समय पर मूल्यांकन नहीं करके जानबूझकर उलझाकर उनके साथ अन्याय करने के संबंध में न्याय दिलाने बावत्।	---	---
58	सामान्य नस्ती	श्री एन0पी0 व्यास सहा0ग्रे0-2 द्वारा घोर भ्रष्टाचार करने बावत्।	---	---
59	सामान्य नस्ती	दहेज प्रताड़ना बावत्।	---	---
60	सामान्य नस्ती	रिमाइन्डर भेजने बावत्।	---	---
61	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत रूनाहा के षिकायत करने पर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई कार्यवाही न करने बावत्।	---	---
62	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत रूनाहा में वर्णित भवन को तोड़ने बावत्।	---	---
63	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत तूमड़ा द्वारा सड़क निर्माण एवं शाला भवन की जांच करने के संबंध में ए0पी0ओ साकल्लये के पास।	---	---
64	सामान्य नस्ती	ग्राम पटेल का पूर्व चौकीदारी पटेल के भाई के द्वारा सरपंच के माध्यम से परेषान किये जाने बावत्।	---	---
65	सामान्य नस्ती	मंत्रियों/विधायकों से प्राप्त षिकायत की नस्ती।	---	---
66	सामान्य नस्ती	पेयजल संबंधी नस्ती।	---	---
67	सामान्य नस्ती	श्री सतीष चौरसिया की षिकायत।	---	---
68	सामान्य नस्ती	ग्रामवासी फंदा द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत आवेदन नस्ती।	---	---
69	सामान्य नस्ती	अर्जित अवकाष की त्रुटि पूर्ण करना व भुगतान बावत्। श्री जय नारायण मिश्रा, सेवा निवृत्त षिक्षक।	---	---
70	सामान्य नस्ती	ग्राम पंचायत पारदी गांव में कूआं तक नहीं खुदा ओर एक करोड हजम।	---	---
71	सामान्य नस्ती	मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत मुंगलिया छाप की समस्याओं के संबंध में।	---	---
72	सामान्य नस्ती	संकुल केन्द्र निषातपुरा के संबंध में।	---	---

5. लेखा शाखा

क्र प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन	
	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	1. कैष बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर नस्ती 4. चैक रजिस्टर 5. बैंक पास बुक 6. चैक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश 8. आडिट रिपोर्ट 9. आवंटन रजिस्टर 10. बिल रजिस्टर	सूचना का अधिकार अधि0 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल एवं लेखाधिकारी, जिला पंचायत भोपाल
2.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण प्रशासन योजना	1. कैष बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर नस्ती 4. चैक रजिस्टर 5. बैंक पास बुक 6. चैक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश 8. डी.आर.डी.ए. प्रशासन में वेतन आहरण पंजी रिपोर्ट 9. आडिट 10. आवंटन रजिस्टर 11. बिल रजिस्टर		

3.	मध्यान्ह भोजन परिवहन	<ol style="list-style-type: none"> 1. कैष बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर <p>नस्ती</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. चैक <p>रजिस्टर</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. बैंक पास बुक 6. चैक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश रिपोर्ट 8. आडिट रिपोर्ट 9. आवंटन रजिस्टर 10. बिल रजिस्टर 	---	---
4.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार परिवहन	<ol style="list-style-type: none"> 1. कैष बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर <p>नस्ती</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. चैक <p>रजिस्टर</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. बैंक पास बुक 6. चैक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश रिपोर्ट 8. आडिट रिपोर्ट 9. आवंटन रजिस्टर 10. बिल रजिस्टर 	---	---
5.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1. कैष बुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर <p>नस्ती</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. चैक <p>रजिस्टर</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. बैंक पास बुक 6. चैक बुक 7. शासन से प्राप्त निर्देश रिपोर्ट 8. आडिट रिपोर्ट 	---	---

रिपोर्ट

9. आवंटन

रजिस्टर

10. बिल

रजिस्टर

6. इन्दिरा आवास योजना 80 :

1. कैष बुक
2. बहीखाता
3. व्हाउचर नस्ती
4. चैक रजिस्टर
5. बैंक पास बुक
6. चैक बुक
7. शासन से प्राप्त निर्देश
8. आडिट रिपोर्ट
9. आवंटन रजिस्टर
10. बिल रजिस्टर

---..--- ---..---

7. इन्दिरा आवास योजना 20 :

1. कैष बुक
2. बहीखाता
3. व्हाउचर नस्ती
4. चैक रजिस्टर
5. बैंक पास बुक
6. चैक बुक
7. शासन से प्राप्त निर्देश
8. आडिट रिपोर्ट
9. आवंटन रजिस्टर
10. बिल रजिस्टर

---..--- ---..---

8. एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम प्रथम

1. कैष बुक
2. बहीखाता
3. व्हाउचर नस्ती
4. चैक रजिस्टर
5. बैंक पास बुक
6. चैक बुक
7. शासन से प्राप्त निर्देश
8. आडिट रिपोर्ट
9. आवंटन रजिस्टर
10. बिल रजिस्टर

---..--- ---..---

9. एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम द्वितीय

- ..--- ---..---
1. कैष बुक
 2. बहीखाता
 3. व्हाउचर नस्ती
 4. चैक रजिस्टर
 5. बैंक पास बुक
 6. चैक बुक
 7. शासन से प्राप्त निर्देश
 8. आडिट रिपोर्ट
 9. आवंटन रजिस्टर
 10. बिल रजिस्टर

10. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

- ..--- ---..---
1. कैष बुक
 2. बहीखाता
 3. व्हाउचर नस्ती
 4. चैक रजिस्टर
 5. बैंक पास बुक
 6. चैक बुक
 7. शासन से प्राप्त निर्देश
 8. आडिट रिपोर्ट
 9. आवंटन रजिस्टर
 10. बिल रजिस्टर

11. आपरेशन ब्लेक बोर्ड

- ..--- ---..---
1. कैष बुक
 2. बहीखाता
 3. व्हाउचर नस्ती
 4. चैक रजिस्टर
 5. बैंक पास बुक
 6. चैक बुक
 7. शासन से प्राप्त निर्देश
 8. आडिट रिपोर्ट
 9. आवंटन रजिस्टर
 10. बिल रजिस्टर

12. आई० ई० सी०

- ..--- ---..---
1. कैष बुक
 2. बहीखाता
 3. व्हाउचर नस्ती
 4. चैक रजिस्टर
 5. बैंक पास बुक
 6. चैक बुक
 7. शासन से प्राप्त निर्देश
 8. आडिट रिपोर्ट
 9. आवंटन रजिस्टर
 10. बिल रजिस्टर

13. मध्यान्ह भोजन- शिक्षा

1. कैष बुक
2. बहीखाता
3. व्हाउचर नस्ती
4. चैक रजिस्टर
5. बैंक पास बुक
6. चैक बुक
7. शासन से प्राप्त निर्देश
8. आडिट रिपोर्ट
9. आवंटन रजिस्टर
10. बिल रजिस्टर

6. स्थापना

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री वाय आर पाटिल, परियोजना अधिकारी	सूचना का अधिकार अधि० 2005 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2. सहा. परि. अधि 3. कक्ष सहायक
2.	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-1 एवं-2 श्री आर० एम० मिश्रा, सहायक परि. अधि.	---	---
3.	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं अन्य पत्र श्री गौतम मुखर्जी, सहायक परियोजना अधिकारी	---	---
4.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री एस. यू. शाहिद, सहायक परियोजना अधि.	
5.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका व्यक्तिगत नस्ती-03 श्रीमती ज्योति गौर, सहा सांख्यिकी अधिकारी	
6.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग० 1 एवं 02 श्री अशोक गोयल, डब्ल्यू० डी० टी०	
7.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-01 एवं भाग-02 श्री एम० डी० बैरागी, अधीक्षक	
8.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-01 भाग-2, श्री अषेष सक्सेना, स्टेनो	
9.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री व्ही० एस० दुबे, मैनेजर	
10.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती भाग-01 एवं भाग-02 श्रीमती अन्नमा वर्गीस (सेवानिवृत्त) लेखापाल	
11.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 से भाग-03 तक एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती साली सेमुअल- (सहा. ग्रेड-2)	
12.		सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका भाग-01 से भाग-02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री डी० टी० चन्दानी (सहा० ग्रेड-2)	

13. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री मानसिंह कुष्वाह, (सहा ग्रेड-2)
14. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग-02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री जे. एस. राय. सहा. ग्रेड-3
15. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग 01 एवं भाग-3, एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री छगनलाल डेहरिया, सहा0 ग्रेड-3
16. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती सुमन माथुर, सहा0 ग्रेड-3
17. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री अमरनाथ तिवारी, सहा0 ग्रेड-3
18. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री रूईकर लेखाधिकारी
19. सामान्य नस्ती व्यक्तिगत नस्ती, (कम्प्यूटर आपरेटर संविदा) श्री मनोज कुम्भारे,
20. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती शंकुतला सक्सेना, भृत्य
21. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती चन्दा शर्मा, भृत्य
22. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग-02,, एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री विष्वनाथ वर्मा, भृत्य
23. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री हबीब उद्दीन, भृत्य
24. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती , श्री चन्द्रबहादुर थापा, भृत्य
25. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती, श्री कुवंरसिंह भृत्य
26. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती, श्री मानसिंह परमार, भृत्य
27. सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका भाग-01 एवं भाग-02 एवं व्यक्तिगत नस्ती श्री राजकुमार सैन, भृत्य
48. सामान्य नस्ती श्री पवन कुमार शर्मा, आई0ए0एस 14/6/03 से 27/7/04 तक पत्रावली
49. सामान्य नस्ती डॉ नवनीत एम0 कोठारी आई0ए0एस 7/1/05 से
- 1 सामान्य नस्ती स्थापना संबंधी पत्र व्यवहार 1998
- 2 सामान्य नस्ती डी. आर. डी. ए. स्वीकृत भरें रिक्त पदों की जानकारी वर्ष 2003
- 3 सामान्य नस्ती डी0 आर0 डी0 ए0 स्टाफ की कमी को पूरा करने बाबत् पत्र व्यवहार
- 4 सामान्य नस्ती सीधी भर्ती के कर्मचारियों को सामूहिक पेंशन योजना वर्ष 1996-97
- 5 सामान्य नस्ती म0 प्र0 शासन के आदेश 1998-99 शासन से जारी आदेश नस्ती

28.

सामान्य नस्ती
सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती
श्री राजकुमार बारेबार, भृत्य

29.

सामान्य नस्ती
सेवापुस्तिका भाग-01 एवं 02 एवं व्यक्तिगतनस्ती श्री कुमेरसिंह राजपूत, भृत्य

30.

सामान्य नस्ती

सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगतनस्ती श्री आरिफ खान, वाहन चालक

31	सामान्य नस्ती	व्यक्तिगत नस्ती,	श्री जे0 एस0 दोहर,	मुख्य अधिकारी, जनपद बैरसिया
श्री सी. यू. रॉय, परि योजना अधिकारी	34.	सामान्य नस्ती	सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती,	श्री प्रशांत केलापुरे, परि योजना अधिकारी
35.	सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती	श्री मो0 अषरफ, तकनीकी सहायक	36	सामान्य नस्ती सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, सहा0 ग्रेड-3

32.

सामान्य नस्ती

सेवापुस्तिका भाग-01 एवं व्यक्तिगत नस्ती

श्री अरविन्द यादव

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद फंदा

33.

सामान्य नस्ती

सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती

37.

सामान्य नस्ती

सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती की छायाप्रति

श्री रईसखान, सेवानिवृत्त वाहन चालक

38.

सामान्य नस्ती

सेवापुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती

श्री राधेष्णाम सांकल्ले, परि योजना अर्थशास्त्री

39.

सामान्य नस्ती

व्यक्तिगतनस्ती

श्री रजनीष श्रीवास्तव

40.

सामान्य नस्ती

नस्ती अन्तव्यवसायी निगम,

श्री बी0 एल0 अहिरवार

41.

सामान्य नस्ती

श्री एच0 एल0 प्रजापति,

नस्ती 2003

43.

सामान्य नस्ती

श्री के0 एस0 मारण, आई0ए0एस

नस्ती वर्ष 2001

सामान्य नस्ती श्री व्ही० एस० निरंजन आई०ए०एस नस्ती वर्ष २००१ ४५.

डॉ रविन्द्र परतौर आई०ए०एस नस्ती वर्ष २००१ ४६. सामान्य नस्ती

वर्ष २००१ ४७. सामान्य नस्ती

१७/६/०२ से १३/६/०३ तक

४२.

सामान्य नस्ती
श्री एस० एस० शुक्ला, आई०ए०एस
नस्ती वर्ष २००१

४४.

सामान्य नस्ती
श्री एस० ए० खान
श्रीमती पल्लवी जैन गौविल, आई०ए०एस

- ६ सामान्य ---..--- वर्ष २००३-०४
नस्ती
- ७ सामान्य ---..--- वर्ष २००२-०३
नस्ती
- ८ सामान्य ---..--- वर्ष २००४-०५
नस्ती
- ९ सामान्य वरिष्ठता सूची वर्ष २००२-०३
नस्ती
- १० सामान्य म० प्र० शासकीय सेवा बीमा सह-बचत योजना
नस्ती
- ११ सामान्य श्री शफीककुर रहमान वाहन चालक २००३-०४ कमोन्नति बाबत् ।
नस्ती
- १२ सामान्य कमोन्नति योजना वर्ष १९९९-२००० नस्ती
नस्ती
- १३ सामान्य ब्रमोन्नति/पदोन्नति वर्ष २००३-०४ नस्ती
नस्ती
- १४ सामान्य श्री राकेश द्विवेदी सहा० ग्रेड-२ नस्ती
नस्ती
- १५ सामान्य श्री संजय डेविड सहा० वि० विस्तार अधि०
नस्ती
- १६ सामान्य श्रीमती जानकी पाण्डे नस्ती
नस्ती
- १७ सामान्य श्री वीरेन्द्र तिवारी नस्ती
नस्ती
- १८ सामान्य ग्रामोद्योग स्थापना ९/७/०२ से २०/४/०४ तक
नस्ती
- १९ सामान्य दूरभाष आदेश स्वीकृत नस्ती २००३-०४
नस्ती
- २० सामान्य ग्रा० अधि० एवं वि-अधि वेतन भत्तो संबंधी नस्ती
नस्ती
- २१ सामान्य लेखा परीक्षा २००३ नस्ती
नस्ती

- 22 सामान्य पुराने अभिलेखों का विनिश्चिक्करण 2003 नस्ती
नस्ती
- 23 सामान्य जिला पंचायत स्थापना की नस्ती 2003-04
नस्ती
- 24 सामान्य कार्य विभाजन 2002-03 नस्ती
नस्ती
- 25 सामान्य दैनिक वेतन भोगी नस्ती 2003-04 एवं 2004-05
नस्ती
- 26 सामान्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भोपाल 28/1/02 से 23/1/04 स्थापना संबंधी नस्ती
नस्ती
- 27 सामान्य महिला उत्पीडन वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 नस्ती
नस्ती
- 28 सामान्य विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी, लोक सभा निर्वाचन ड्यूटी 2003-04 नस्ती
नस्ती
- 29 सामान्य फोटो कापियर मशीन स्थापना अनुबंध 03 से 2004 नस्ती
नस्ती
- 30 सामान्य जी0 पी0 एफ0 स्वीकृति 2003 से 2004 तक नस्ती जनपद पंचायत कर्मचारी
नस्ती
- 31 सामान्य आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को स्थापना संबंधी मासिक जानकारी 2003 से 2005 तक नस्ती
नस्ती
- 32 सामान्य अग्रिम द्वारा कार्यक्रम 2003-04 नस्ती
नस्ती
- 33 सामान्य यात्रा देयक/दौरा डायरी अनुमोदन 2003-04 अधीनस्थ कार्यालयों के एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
नस्ती का प्रस्ताव वार्षिक वेतन वृद्धि 2004-05 की सूची
- 34 सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि 2004-05 सूची
नस्ती
- 35 सामान्य अवकाश संबंधी के प्रत्योजन बाबत् 30-10-96 19-4-99 नस्ती
नस्ती
- 36 सामान्य बैकलाग 2003-04 नस्ती
नस्ती
- 37 सामान्य म0 प्र0 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2002-03-04 नस्ती
नस्ती
- 38 सामान्य आकस्मिक ऐच्छिक अवकाश 1/1/04 से पंजी एवं नस्ती
नस्ती
- 39 सामान्य मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्र 2002-03 नस्ती
नस्ती
- 40 सामान्य विधान सभा ड्यूटी 2002-03 नस्ती
नस्ती
- 41 सामान्य जिला सरकार 10/12/2003 नस्ती
नस्ती
- 42 सामान्य उपस्थिति प्रतिवेदन 2004 फरवरी से लेखा शाखा को उपस्थिति भेजने बाबत्।
नस्ती
- 43 सामान्य आदेश फाईल 22/6/03 से विविध आदेश बाबत्।
नस्ती
- 44 सामान्य ग्रामस्तर पर प्रशासन को सक्रिय 2004-05 नस्ती
नस्ती

- 45 सामान्य नस्ती कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त एवं वर्ष 2003-04-05 तक समन्वयक एवं 1 से 14 बिन्दुओं पर प्रतिमाह भेजने वाली जानकारी।
- 46 सामान्य नस्ती श्री संजीव श्रवण मण्डल संयोजक वर्ष 2004-05
- 47 सामान्य नस्ती पंचायत की धारा 40/92-10 10/2/04 से नस्ती
- 48 सामान्य नस्ती राजाभाई जनपद सदस्य द्वारा उद्यान विभाग की शिकायत
- 49 सामान्य नस्ती चल अचल सम्पत्ति वर्ष 2003-04 से 2004-05 तक की नस्ती
- 50 सामान्य नस्ती अशंकालीन स्वच्छक स्वीपर 23/3/02 से नस्ती`
- 51 सामान्य नस्ती अनुकम्पा नियुक्ति वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005 तक
- 52 सामान्य नस्ती शिक्षा विभाग के पत्राचार 2004-05 नस्ती
- 53 सामान्य नस्ती ए0 डी0 ओ0 स्थापना 7/3/03 से नस्ती
- 54 सामान्य नस्ती जिला पंचायत के कार्यालय का युक्तियुकरण 2004 तक
- 55 सामान्य नस्ती विकास स्थापना 2003-04 से स्थापना नस्ती 05 नस्ती
- 56 सामान्य नस्ती अवकाश फाईल कार्यालय कर्मचारी 2004-05
- 57 सामान्य नस्ती जिला पंचायत में संलग्न विभिन्न कर्मचारियों की नस्ती
- 58 सामान्य नस्ती अनिल कुमार दुनानी, भृत्य, (शिक्षा) 2003-04
- 59 सामान्य नस्ती सामान्य पत्राचार 2004-05
- 60 सामान्य नस्ती सर्वशिक्षा 2003-04 नस्ती
- 61 सामान्य नस्ती कैलाश चतुर्वेदी वाहन स्वच्छक 26 जून 03 से
- 62 सामान्य नस्ती डी0 आर0 डी0 ए0 में प्रतिनियुक्ति 2002-04 तक
- 63 सामान्य नस्ती प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने वाले आवेदन महत्वपूर्ण नस्ती
- 64 सामान्य नस्ती परि अर्थषास्त्री प्रतिनियुक्ति 2002-03
- 65 सामान्य नस्ती तकनीकी सहायक प्रतिनियुक्ति 2002-03 नस्ती
- 66 सामान्य नस्ती अतिशेष कर्मचारी जनपद पंचायत फंदा 2004-05
- 67 सामान्य नस्ती उपसंचालक मछली 2004-05 नस्ती
- 68 सामान्य नस्ती उपसंचालक उद्यान 2004-05 नस्ती
- 69 सामान्य नस्ती मत्सय विभाग डी0डी0 टी 2004-05 नस्ती

- 70 सामान्य सोना मत्स्यउद्योग 1994 से नस्ती
नस्ती
- 71 सामान्य अक्षय उर्जा 2003-04 नस्ती
नस्ती
- 72 सामान्य मत्सय तालाब की जानकारी 2002-03
नस्ती
- 73 सामान्य पंचायत एवं समाज कल्याण नस्ती 2003-04
नस्ती
- 74 सामान्य गौवंश सरक्षण एवं गौसवंधन के आधार पर टिकाउ ग्रामीण विकास करने बाबत्
नस्ती
- 75 सामान्य गौशाला हेतु भूमि आवंटन 2004-05 नस्ती ग्रा0 पं0 एव कालापानी कढैयाषाह
नस्ती
- 76 सामान्य विभागीय जॉच एवं न्यायालयीन 2003-04 तक श्री डी0 टी0 चन्दानी नस्तीबद्ध श्री चिन्तामणी झा
नस्ती आरोप पत्र जारी करना है।
- 77 सामान्य नेवरी तालाब 1996 से नस्ती
नस्ती
- 78 सामान्य चूना काकीट जलाषय 1 से नस्ती
नस्ती
- 79 सामान्य हताईखेडा जलाषय 1996 से नस्ती
नस्ती
- 80 सामान्य मत्सय विभाग के निद्रेष 1998 नस्ती
नस्ती
- 81 सामान्य गरेटिया जलाषय 2002 नस्ती
नस्ती
- 82 सामान्य बकानिया जलाषय नस्ती
नस्ती
- 83 सामान्य विधानसीाा प्रषन क. 6081-6084 / 2002 से नस्ती
नस्ती
- 84 सामान्य पषु चिकित्सा विभाग विभागीय पदोन्नति
नस्ती
- 85 सामान्य फसल कटाई 2003-04 नस्ती
नस्ती
- 86 सामान्य म्नीखेडी एवं कल्याणपुर जलाषय 2004-05
नस्ती
- 87 सामान्य श्री ए0 ए0 खान, कृषि अनुदेषक 2003-04 स्वत्वों का भुगतान नस्ती
नस्ती
- 88 सामान्य सहकारिता उद्योग की बैठक में अनु0 रहने बाबत्।
नस्ती
- 89 सामान्य बायोगैस 2003-04-05 बायोगैस लक्ष्यपूर्ति नस्ती
नस्ती
- 90 सामान्य श्री विरेन्द्र मिश्रा वाहन चालक 2004-05 नस्ती
नस्ती

अध्याय-7 (मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- 7.1. कृपया लोक प्राधिकरण में संबद्ध बोर्ड, परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दे
! संबद्ध संस्था का नाम एवं पता

1. सामान्य प्रशासन समिति,

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल
! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य:-

जिला पंचायत की स्थापना ओर सेवाओं, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना बजट लेखे, कराधान, श्रम तथा जनशक्ति नियोजन, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल, तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा अन्य वित्तीय मामले ओर उन विषयों से जो किसी अन्य समितियों को आवंटित कृत्यों के अन्तर्गत नहीं आते।

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

प्रबंधकारिणी:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थायी समिति

07 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

डॉ० नवनीत एम० कोठारी, आई०ए०एस०

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृत्ति

सामान्यतः माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है

नहीं

! क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ँ

जी हाँ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ँ

जी हाँ

2. कृषि समिति

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल

! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य:-

कृषि भू-राजस्व तथा पशु पालन, विद्युत शक्ति कृष्यकरण जिसमें मृदासंरक्षण ओर समोच्चय वनधान (कंटुर वंडिंग) सम्मिलित है, के लिए ओर मत्सयपालन कम्पोस्ट खाद्य बनाने, बीज वितरण ओर कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विषयों के लिए।

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्षदात्री:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

05 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

उप संचालक (कृषि)

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ँ

नहीं

! क्या बैठक की कार्यवृत्त तैयार की जाती है ँ

जी हाँ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ँ

जी हाँ

3. वन समिति

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल

! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य:-

सामाजिक वानिकी, एकीकृत पडत भूमि विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय उद्यान, लघुवनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रमों के लिए।

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्षदात्री:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थायी समिति

05 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

वन

मंडलाधिकारी

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ँ

नहीं

! क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ँ

जी हॉ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ः

जी हॉ

4. शिक्षा समिति

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल

! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य:-

शिक्षा के लिए, जिसमें प्रोढ शिक्षा सम्मिलित है, निषक्तों एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, मद्यपान त्याग या मद्यनिषेध आदिम जाति तथा पिछडे वर्ग व हरिजन कल्याण तथा खेलकूद एवं युवक कल्याण के लिए

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्षदात्री:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

05 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृति

माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ः

नहीं

! क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ः

जी हॉ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ६

जी हॉ

5. स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल

! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य

एवं

मुख्य

कृत्य:-

लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण जलप्रदाय तथा जल निकास के लिए।

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्षदात्री:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

05 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ६

नहीं

! क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ६

जी हॉ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ६

जी हॉ

6. सहकारिता ओर समिति

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल

! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य:-

सहकारिता, मित्यतता ओर अल्पबचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम, बाजार एवं सांख्यिकी के लिए।

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्षदात्री:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

05 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है छ

नहीं

! क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है छ

जी हॉ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है छ

जी

हॉ

7. संचार तथा संकर्म समिति

जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल

! संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

समिति

! संबद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

उद्देश्य एवं मुख्य कृत्य:-

संचार, लघुसिचाई, ग्रामीण गृह निर्माण तथा अन्य लोक संकर्मों के लिए

! संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्षदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)

परामर्षदात्री:-

! स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

स्थाई समिति

05 सदस्य

! मुख्य अधिकारी का नाम

कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

! मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

! बैठक की आवृत्ति

माह में एक बार

! क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ँ

नहीं

! क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ँ

जी हाँ

! क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ँ

जी

हाँ

अध्याय-8 (मैनुअल-7)
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य
विषिष्टियां

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत् लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलैट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें।

लोक प्राधिकरण का नाम : जिला पंचायत, भोपाल

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई0 मेल	पता
1.	परियोजना अधिकारी	परियोजना अधिकारी जिला पंचायत भोपाल	0755	2540964	-	27388041	शेड. क-3 पुराना सचिवालय भोपाल

लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई0 मेल	पता
1.	डॉ नवनीत एम0 कोठारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल	0755	2540964	2430636	27388041	शेड. क-3 पुराना सचिवालय भोपाल

विभागीय अपीलैट अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष	फैक्स	ई0 मेल	पता
1.	श्री संजय शुक्ला	कलेक्टर	0755	2540494	2430003	2546733	डी-ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल

अध्याय-9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ँ (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)

लोक प्राधिकरण में निर्णय लेने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास

विभाग के निर्देशानुसार योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिये जाते हैं।

9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है ँ

विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने के लिये 50 प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज अधिनियम में निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल पूर्ण रूप से अधिकृत है।

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है ँ

लोक प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गये कार्यक्रम/योजनाओं के लाभार्थियों की सूची प्राधिकरण के वेबसाईट प्रूचडीवचंसण्दपबण्णपद पर उपलब्ध है तथा मॉगने पर जनता को उपलब्ध कराई जावेगी।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है ँ

लोक प्राधिकरण में जिलास्तर पर निर्णय लेने हेतु संबंधित योजना प्रभारी अधिकारी, की संस्तुति उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निर्णय लिये जाते हैं, तथा जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फदा/बैरसिया निर्णय लेने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत है।

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी।

लोक प्राधिकरण में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल द्वारा लिया जाता है।

9.6 मुख्य विषय जिस परलोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र० सं०

विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	लोक प्राधिकरण को सौंपी गई विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाएँ/कार्यक्रम
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सौंपी गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम हेतु जारी दिशा निर्देश।

निर्णय लेने की प्रक्रिया दिशा निर्देश में उल्लेखित प्रावधान अनुसार।

निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम संबंधित योजना के प्रभारी अधिकारी,
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना कार्यालय जिला पंचायत शेड क्र-3 पुराना सचिवालय भोपाल।

निर्णय के विरुद्ध कहाँ ओर कैसे अपील करें कलेक्टर जिला भोपाल।

अध्याय-10 (मैनुअल-9) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में जनपद वार दे।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	फैक्स	ई0 मेल	पता
	कार्यालय		आवास			
1.	डॉ नवनीत कोठारी	एम0 मु0 का0 अधि	पा0 2540964	2430696	2738041	ई-एन-1/एम चार इमली भोपाल
2.	श्री सी0 रॉय	यू0 परियोजना अधि	---	2424000	---	बी-83 शाहपुरा भोपाल
3.	श्री आर0 वाय0 पाटिल	परियोजना अधि	---	2431029	---	8/35 एफ चार इमली भोपाल
4.	श्री प्रशांत केलापुरे	परियोजना अधि	---	2465544	---	ई-7/550 अरेरा कालोनी भोपाल
5.	श्री आर0 एम0 मिश्रा	सहा0 परि0 अधि	---	2777056	---	एस-1111 नेहरूनगर भोपाल
6.	श्री एस0 यू0 शाहिद	सहा0 परि0 अधि	---	98262-42103	---	फ्लेट न0 सी-2 दुर्गेश काम्पलेक्स 9-बी गोविन्द गार्डन भोपाल
7.	श्री गौतम मुखर्जी	सहा0 परि0 अधि	---	2555735	---	एफ 110/43 शिवाजी नगर भोपाल
8.	श्री एस0 रूईकर	जे0 लेखाधिकारी	---	2414204	---	जे-45 प्रियंका नगर राजस्व कालोनी कोलार रोड भोपाल
9.	श्री साकल्ले	राधेष्णाम परियोजना अर्थशास्त्री	---	2420662	---	सी-370 शाहपुरा भोपाल
10.	श्रीमती ज्योति गौर	सहा0 अधि0	सा0	---	---	वी-अल्कापुरी बी0 एच0 ई0 एल भोपाल
11.	श्री गोयल	अशोक डब्लू0डी0 टी0	---	---	---	ए-न्यू 1/5 बैरागढ भोपाल
12.	श्री खान	अशरफ तकनीकी सहायक	---	---	---	05 बाबा फरीद स्ट्रीट जहाँगीराबाद भोपाल
13.	श्री कुमार गुप्ता	सुरेश तकनीकी सहायक	---	---	---	
14.	श्री मेहरा	एन खन्ना उपयत्री	---	---	---	5/77 साउथ न्यू अर्पाटमेन्ट भोपाल
	श्री उमेश मेहरा	सहा0 ग्रामो0 विकास अधि0	---	93007-58335	---	इन्द्रपुरी भोपाल

15	श्री एम० डी० अधीक्षक बैरागी	---	---	---	---	एफ-45 विजयनगर कालोनी लालधाटी
15	श्री अषेष स्टेनो सक्सेना	---	---	---	---	104 गोमती कालोनी नेहरू नगर भोपाल
16	श्री व्ही० के० ग्रा० कृ० वि० शुक्ला अधि०	---	---	---	---	वल्लभ नगर लालधाटी भोपाल
17	श्रीमती साली सहा ग्रेड-2 सेमुअल	---	---	---	---	क्वा० न० 221 रेल्वे कालोनी हबीबगंज भोपाल
18	श्री मानसिंह सहा ग्रेड-2 कुषवाह	---	98273-	---	---	क्वा. न. आई-52/14 साउथ टी० टी० नगर भोपाल
19	श्री डी० टी० सहा० ग्रेड-2 चन्दानी	2540964	93294-	2738041	ए-31/318	बैरागढ भोपाल
20	श्री अरुण सहा० ग्रेड-2 शर्मा	---	---	---	---	1250 तुलसीनगर भोपाल
21	श्री व्ही० प्रबंधक एस० दुबे	---	2762836	---	---	वी-71 माचना कालोनी षिवाजी नगर भोपाल
22	श्री रिजवान सहा० ग्रेड-3 सिद्दकी	---	---	---	---	डी-एस 99 इंदिरा नगर कालोनी ऐषबाग भोपाल
23	श्री जे० एस० राय सहा० ग्रेड-3	---	---	---	---	सी-46 रविषंकर शुक्ला मार्केट पी० एन० बी० के पीछे 5 न० स्टाप भोपाल
24	श्री सी० सहा० एल० डेहरिया ग्रेड-3	---	98260-	---	---	शारदा नगर फेस-2 लाम्बाखेडा भोपाल
25	श्रीमती गंगा सहा० मोटवानी ग्रेड-3	---	93023-	---	---	बी-2 सब्जी मण्डी बैरागए
26	श्री अमरनाथ सहा० ग्रेड-3 तिवारी	---	---	---	---	193 हसनानंद नगर बाणगंगा भोपाल
27	श्रीमती सुमन सहा० माथुर ग्रेड-3	---	2759087	---	---	एल-43 न्यू सुभाष नगर भोपाल
28	श्री सलीम शेख सहा० ग्रेड-3	---	---	---	---	माता मन्दिर साउथ टी० टी० नगर भोपाल
29	श्री एम० एस० सहा० ग्रेड-3 अन्सारी	---	---	---	---	हबीबिया स्कूल के पीछे भोपाल
30	श्री गुरुचरण सहा० ग्रेड-3 उईके,	---	---	---	---	म० न० 711 आनंद नगर रायसेन रोड भोपाल
31	श्री हरीष सहा० ग्रेड-3 शीतलानी	---	---	---	---	

32	श्री मनोज कुम्भारे	कम्प्यूटर आप0 संविदा	---	---	93295- 40166	44 शहीद नगर भोपाल
32	श्री राजेन्द्र खातरकर	अनुरेखक	---	---	---	ऐषबाग स्टेडियम के पास भोपाल
33	श्री आर0 बी0 सविता	स्टोर कीपर	---	---	---	सदर मंजिल के सामने भोपाल
34	श्री आरिफ खान	ड्राइवर	---	---	---	सुदामानगर अप्सरा टाकीज के पास भोपाल
35	श्री मानसिंह खटीक	वाहन चालक	---	---	---	भोईपुरा बुधवारा
36	श्री अनिल दुनानी	भृत्य	---	---	---	न्यू-बी-22 क्वा0 न0 236 बैरागढ भोपाल
37	श्री सुरेश सक्सेना	भृत्य	---	---	---	एन-2, 1246 गोविंदपुरा भोपाल
38.	श्री एस0 के0 अग्रवाल	भृत्य	---	---	---	न्यू सुभाष नगर भोपाल
39.	श्री मानसिंह परमार	भृत्य	---	---	---	बागसेवनिया पठार
40.	श्री राजकुमार सैन	भृत्य	---	---	---	सूरजनगर भदभदा रोड भोपाल
41	श्री विष्वनाथ वर्मा	भृत्य	---	---	---	शिवनगर कालोनी न्यू मार्केट भोपाल
42	श्री कुमेरसिंह	भृत्य	---	---	---	संजय नगर बैरागढ
43	श्री कुवंरसिंह	भृत्य	---	---	---	6 न0 बस स्टाप के पास शिवाजी नगर भोपाल
44	श्री हबीब उद्दीन	भृत्य	---	---	---	न्यू कबाडखाना
45	श्री चन्द्र बहादुर थापा	भृत्य	---	---	---	ई-एन-1/17 चार ईमली भोपाल
46.	श्री राजकुमार बारेबार	भृत्य	---	---	---	ई-एन-1/17 चार ईमली भोपाल
47.	श्रीमती चन्दा शर्मा	भृत्य	---	---	---	पारस नगर बैरसिया भोपाल
48	श्रीमती शकुन्तला सक्सेना	भृत्य	---	---	---	आई-60 रामनगर कालोनी भोपाल
49	श्री हाकिमसिंह	भृत्य	---	---	---	विजय नगर के पास लालधाटी

नोट :- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ एवं संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी भी सम्मिलित है।

अध्याय-11 (मैनुअल-10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक
पारिश्रमिक ओर उसके निर्धारण की पद्धति

11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे।

क्र. सं.	नम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	परितोषिक / परितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1.	डॉ नवनीत एम0 कोठारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	18,871.00	—	म0 शासन द्वारा निर्धारित पद्धति नियमावली अनुसार
2.	श्री वाय0 आर0 पाटिल	परियोजना अधि0	19,356.00	—	—...—
3.	श्री सी0 यू0 रॉय	परियोजना अधि0	17,219.00	—	—...—
4.	श्री प्रभांत केलापुरे	परियोजना अधि0	15,090.00	—	—...—
5.	श्री जे0 एम0 रूईकर	लेखाधिकारी अधि0	13,370.00	—	—...—
6.	श्री आर0 एम0 मिश्रा	सहा0 परि0 अधि0	14,035.00	—	—...—
7.	श्री एस0 यू0 शाहिद	सहा0 परि0 अधि0	13,594.00	—	—...—
8.	श्री गौतम मुखर्जी	सहा0 परि0 अधि0	12,222.00	—	—...—
9.	श्री राधेष्थाम साकल्ले	परियोजना अर्थषास्त्री	12,385.00	—	—...—
10.	श्रीमती ज्योति गौर	सहा0 सांख्यिकी अधि0	15,063.00	—	—...—
11.	श्री अषोक कुमार गोयल	डब्लू0 डी0 टी0 सदस्य	11,029.00	—	—...—
12.	श्री एम0 डी0 बैरागी	अधीक्षक	11,112.00	—	—...—
13.	श्री अषेष सक्सेना	स्टेनो	11,220.00	—	—...—
14.	श्री मो0 अषरफ	तकनीकी सहायक	9,998.00	—	—...—
15.	श्री डी0 टी0 चन्दानी	सहा0 ग्रेड-2	8,102.00	—	—...—
16.	श्रीमती साली सेमुअल	सहा0 ग्रेड-2	9,278.00	—	—...—
17.	श्री मानसिंह कुष्वाह	सहा0 ग्रेड-2	7,595.00	—	—...—
18.	श्री व्ही एस0 दुबे	डी0 एस0 एम0 ए0 प्रबंधक	8,626.00	—	—...—
19.	श्री जे0 एस0 रॉय	सहा0 ग्रेड-3	7,226.00	—	—...—
20.	श्री सी0 एल0 डेहरिया	सहा0 ग्रेड-3	7,206.00	—	—...—
21.	श्रीमती सुमन माथुर	सहा0 ग्रेड-3	6,684.00	—	—...—
22.	श्री अमरनाथ तिवारी	सहा0 ग्रेड-3	6,431.00	—	—...—
23.	श्री मनोज कुम्भारे	संविदा कम्प्यूटर आपरेटर	5,500.00	—	—...—
24.	श्री आरिफ खान	वाहन चालक	5,698.00	—	—...—
25.	श्री विष्वनाथ वर्मा	भृत्य	5,361.00	—	—...—
26.	श्री राजकुमार सैन	भृत्य	5,361.00	—	—...—
27.	श्री राजकुमार बारेवार	भृत्य	5,048.00	—	—...—
28.	श्री मानसिंह परमार	भृत्य	5,048.00	—	—...—
29.	श्री हबीब उद्दीन	भृत्य	5,361.00	—	—...—

30	श्री कुमेरसिंह राजपूत	भृत्य	5,361.00	-	---...---
31	श्रीमती चन्दा शर्मा	भृत्य	4,754.00	-	---...---
32	श्री चन्द्र बहादुर थापा	भृत्य	4,754.00	-	---...---
33	श्री कुवंरसिंह	भृत्य	5,229.00	-	---...---
34.	श्रीमती शंकुन्तला सक्सेना	भृत्य	5,128.00	-	---...---
35.	श्री मुकेश कल्याण	अंशकालीक स्वीपर	1,200.00	-	---...---
36.	श्रीमती किरण बाई	अंशकालीक स्वीपर	1,200.00	-	---...---

अध्याय-12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें।

1. इन्दिरा आवास योजना

क. योजना का कार्य कार्य कार्य के प्रस्तावित स्वीकृत शासन कुल कार्य की

राजीव गाँधी जलग्रहण प्रबंधन 2

वर्ष 2004-05

योजना का नाम	कार्य प्रारंभ होने की दिनांक	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	के प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किष्टो में)	कुल व्यय	क. सं.	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
--------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------	--------	---

सं.	नाम	प्रारंभ होने की दिनांक	समापन की अनुमानित दिनांक	बजट	बजट	द्वारा प्रदत्त (किष्टो में)	व्यय	गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
-----	-----	------------------------	--------------------------	-----	-----	-----------------------------	------	--

1.	इन्दिरा आवास योजना	नवीन आवास उन्नयन आवास	जुलाई 2004	मार्च 2005	74.09 प्रति आवास रु. 25,000/- ₹ 349 प्रति आवास रु. 10,000/- ₹ 175	73. 80	दो किष्टों में	73. 80	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया
----	--------------------------	--------------------------------	------------	---------------	---	-----------	-------------------	-----------	---

कुल

20.00 लाख	20.00	प्रथम	15.00
			15.00

1.	एकीकृत भूमि कार्यक्रम- बैच	पडत विकास प्रथम	2003-04	300.00 लाख	300. 00 लाख	132. 42 लाख	56.00 लाख	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल	2007-08
2.	एकीकृत भूमि कार्यक्रम- द्वितीय बैच	पडत विकास	2004-05	2008-09	240. 00 लाख	36.00 लाख	23.00 लाख	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल	240.00 लाख

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए

लेखा शाखा

वर्ष 2004-05

क्र. सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त किष्टों में	कुल व्यय
1.	एस0 जी0 एस0 वाय	12.50 लाख	12.50	प्रथम 23.95	23.95
2.	डी0 आर0 डी0 ए0 प्रशासन	10.30 लाख	10.30	प्रथम 19.58	20.60
3.	आई0 ए0 वाय0	16.43 लाख	16.43	32.85 32.85	प्रथम
4.	पे0 एम0 जी0 आर0 वाय	3.20 लाख	3.20	- -	प्रथम
5.					

परिवहन

मूलयोजना	96.72 लाख	96.72	प्रथम	168.47	168.47
6.	एम0 डी0 एम	172.88 लाख	172.88	प्रथम	172.88 68.25

7.	श्रा0 परि0 सहायता	50.00 लाख	50.00	-	50.00	-
8.	रा. वृद्धावस्था पेंशन	175.00 लाख	80.00	47.20		
9.	स. सु. पेंशन	520.00 लाख	300.00	244.20		

अध्याय – 13 मैनुअल अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें।

! कार्यक्रम/योजना का नाम :- इन्दिरा आवास योजना
! कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा

वित्तीय वर्ष 2004-05 (अप्रैल 04 से मार्च 05)

! कार्यक्रम का उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहें आवासहीन व जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं होते हैं। उन्हें आवास निर्माण हेतु शत्

प्रतिषत् आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई है।

1. यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार 80 प्रतिषत व राज्य सरकार 20 प्रतिषत् राषि उपलब्ध कराती है।
2. जिलेवार राषि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं, आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है।
3. उपलब्ध संसाधनों का 60 प्रतिषत् अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 40 प्रतिषत सामान्य/पिछडा वर्ग के लोगो के आवास पर उपयोग करने का प्रावधान है।
4. 90 प्रतिषत् नवीन आवास निर्माण हेतु प्रति हितग्राही 25,000/- तथा 10 प्रतिषत कच्चे से पक्के आवासों में तबदीली किये जाने के लिए 10,000/- प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

! कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में निम्नानुसार केन्द्र सरकार से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुए हैं :-

आवास श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
-------------	--------------	----------------

नवीन आवास	349	69.80
उन्नयन आवास	175	17.45

! लाभार्थी की पात्रता

हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हों।

1. उनको किसी अन्य पुनर्वास योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।
2. वे बेधर है या उन्हें आश्रय की आवश्यकता है या उनके आवास को बेहतर बनाने की जरूरत हो।
3. अन्य भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्ध सैनिक बलो के सेवानिवृत्त सदस्यों को प्राथमिकता दी जावे यदि इंदिरा आवास योजना की समान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते है तथा किसी अन्य पुनर्वास योजना योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए है।
4. भूतपूर्व सैनिको, अर्द्ध सैनिक बलो तथा उनके आश्रितों को मकानों के आवंटन के संदर्भ प्राथमिकता गैर/अनुसूचित जाति/अनु जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को आवंटन के लिए निर्धारित मकानों के 40 प्रतिषत से ही दिया जावेगा।

! पूर्वापेक्षाएं

कुछ नहीं

! अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित करने के तुरंत पश्चात् ग्राम पंचायतों को लक्ष्य के अनुरूप कुटीर की सम्पूर्ण लागत नवीन आवास हेतु राषि रूपयें 25,000/- (कुटीर निर्माण, स्वच्छ शौचालय, और धुआँ रहित चूल्हा निर्माण हेतु) की आधी राषि प्रथम किस्त के रूप में रु. 12,500/- तथा उन्नयन आवास हेतु राषि रूपयें

10,000/- (कुटीर निर्माण, स्वच्छ शौचालय, और धुआँ रहित चूल्हा निर्माण हेतु) की आधी राषि 5,000/- प्रथम किस्त के रूप प्रति हितग्राही के मान से प्रत्येक पंचायत के हितग्राही मूलक योजना संबंधी बैंक खाते में एकाउंट पेयी चैक के द्वारा जमा कराई जाती है।

हितग्राही को प्रथम किस्त के रूप में नवीन आवास हेतु 12, 750/- एवं कच्चे आवास को पक्के आवास में परिवर्तन करने हेतु राषि रु. 5,000/- ग्राम पंचायत द्वारा चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।

! पात्रता निषिचित करने के लिए मानदण्ड

हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं जनपद पंचायत द्वारा प्राथमिकता क्रम में उनको संकलित कर जिलास्तर से प्राप्त जनपद पंचायतवार/ग्राम पंचायतवार लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को राषि निर्गमित की जाती है ।

चयन की प्राथमिकताएँ निम्न रहती है ।

1. विमुक्त बधुआ मजदूर
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार
3. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जिनकी मुखिया विद्यवाएँ तथा अवैवाहिक महिलाएँ है ।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार जो बाढ आगजनी भूकम्प चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक अपदाओं से पीडित है ।
5. अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य परिवार ।
6. युद्ध में मारे गये सुरक्षा सेवाओं के कार्मिक/अर्द्ध सैनिक बलो की विद्यवाएँ/परिवार
7. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार ।
8. शारीरिक रूप से विकलांग ।
9. अर्द्ध सैनिक बलो के एक्स सर्विसमेन/सेवानिवृत्त ।

! दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राषि का विवरण हो)

नवीन आवास हेतु रूपयें 25,000/- एवं उन्नयन आवास हेतु रूपयें 10,000/- अनुदान के रूप में हितग्राही को प्रदान किये जाते है, जिसमें 80 प्रतिषत् राषि केन्द्र सरकार द्वारा व 20 प्रतिषत् राषि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।`

! अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाकर सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को प्रेषित की जाती है तथा जिला पंचायत द्वारा प्राप्त लक्ष्य एवं बंटन अनुसार लक्ष्य ग्राम पंचायतों को पुर्नबंटित कर राषि तदनुसार ग्राम पंचायतों के हितग्राही मूलक खातों में स्थानांतरित की जाती है ।

! आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल /जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया

! आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)

कुछ नहीं
! अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)

कुछ नहीं
! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

सादे कागज पर स्पष्ट सुवाच्य लिपि में
! संलग्नको की सूची

पात्रता संबंधी प्रमाण
! संलग्नको का प्रारूप

कोई प्रारूप निर्धारित नहीं
! प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल
! उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि)

जिला स्तर पर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का विवरण अध्याय-12 (मैन्युअल-11) में उल्लेख अनुसार है, उक्त राशि जिलास्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पास व ब्लॉक

स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंडा/बैरसिया व ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध रहती है।

! लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

प्रत्येक लाभार्थी का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है अतः चयनित लाभार्थी की सूची संबंधित ग्राम पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय में निम्न प्रारूप में संधारित है।

विभाग	द्वारा	लाभार्थी	का अनुदान	की बलिदयत	पात्रता	का निवास
प्रदत्त क.	नाम	राशि	आधार			

जिला	शहर	मोहल्ला/गाँव	मकान न०
------	-----	--------------	---------

! कार्यक्रम का नाम

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना
! प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)

अनुदान
! उद्देश्य

1. यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राशि उपलब्ध कराई जाती है।
 2. जिलेवार राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं।
 3. आवासों का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है।
 4. आवासों के निर्माण हेतु कोई डिजाईन निर्धारित नहीं है।
- ! लक्ष्य (विगत वर्ष 2004-05 में)

नवीन आवास 16
! पात्रता

हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हों।

1. उनको किसी अन्य पुनर्वास योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।
2. वे बेधर है या उन्हें आश्रय की आवश्यकता है या उनके आवास को बेहतर बनाने की जरूरत हो।
3. अन्य भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्ध सैनिक बलो के सेवानिवृत्त सदस्यों को प्राथमिकता दी जावे यदि इंदिरा आवास योजना की समान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते है तथा किसी अन्य पुनर्वास योजना योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए है।
4. भूतपूर्व सैनिको, अर्द्ध सैनिक बलो तथा उनके आश्रितों को मकानों के आवंटन के संदर्भ प्राथमिकता गैर/अनुसूचित जाति/अनु जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को आवंटन के लिए निर्धारित मकानों के 40 प्रतिषत से ही दिया जावेगा।

! पात्रता का आधार

हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हों एवं आवासहीन हो
! पूर्वापेक्षाएं

कुछ नहीं
! प्राप्त करने के प्रक्रिया

ग्राम सभा द्वारा नाम अनुमोदन किये जाने बाबत्।
! रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा

अनुदान
! आवेदन शुल्क
! आवेदन पत्र का प्रारूप

सादे कागज पर स्वच्छ एवं सुवाच्य लिपि में
! संलग्नकों की सूची

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अनुसार
! संलग्नकों का प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अनुसार
! प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त प्राप्तिकर्ता का वैधता किस दिनांक तक वल्लियत निवास
कमांक नाम है

जिला शहर मोहल्ला/गाँव मकान न.

! कार्यक्रम/योजना का नाम

3. बारहवॉ वित्त आयोग

! कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा

वित्तीय वर्ष 2005 से 2010

! कार्यक्रम का उद्देश्य

पंचायतों के निर्वहन हेतु राषि उपलब्ध कराना।

! कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)

कार्य इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ करना है।

! लाभार्थी की पात्रता

लाभार्थी की पात्रता ग्रामीणजन

! पूर्वापेक्षाएं

पंचायतों में निर्मित सरचनाओं की मरम्मत, नवीन निर्माण
! अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

ग्राम सभा/पंचायतों जनप्रतिनिधियों से 25 प्रतिषत् राषि
! पात्रता निषिचित करने के लिए मानदण्ड

जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर चुने गये जनप्रतिनिधियों द्वारा
! दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राषि का विवरण हो)

जनप्रतिनिधियों व ग्राम स्तर पर प्राप्त अनुदान
! अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया

योजनानुसार
! आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करे

ग्रामीण विकास विभाग में प्रचलित व्यवस्था
! आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)

नियमानुसार
! अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)

नियमानुसार
! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

सादे कागज पर
! संलग्नको की सूची

आवष्यकतानुसार
! संलग्नको का प्रारूप

आवष्कतानुसार
! प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें

योजना के प्रभारी अधिकारियों के पास
! उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि)

जिलास्तर, विकासखण्डस्तर, ग्राम पंचायतस्तर पर
! लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

निर्मित की जा रही संरचना के ग्रामवासी
जनपद पंचायत फंडा एवं बैरसिया में लाभार्थियों की सूची उपलब्ध है ।
विभाग द्वारा लाभार्थी का अनुदान की बलिदयत पात्रता का निवास
प्रदत्त क्र. नाम राशि आधार

जिला शहर मोहल्ला/गाँव मकान न०

! कार्यक्रम/योजना का नाम

4. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

! कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा

जिले शासकीय/षासकीय अनुदान शालाओं में शैक्षणिक सत्र के समस्त कार्य
दिवसों पर

! कार्यक्रम का उद्देश्य

शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दर्ज एवं उपस्थित विद्यार्थियोंसंख्याओं के आधार पर अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आने के लिये उत्साहित एवं अधिप्रेरित हो इस हेतु शासन ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना संचालित की है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साक्षरता, शिक्षा एवं बच्चों में पौष्टिकता का स्तर उचा करना है।

! कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)

लागू नहीं

! लाभार्थी की पात्रता

शासकीय एवं शाला से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों को जो नियमित रूप से शालाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को शालाओं में आने हेतु प्रेरित करना कार्यक्रम का उद्देश्य है।

! पूर्वापेक्षाएं

शासन द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत योजना को अधिक से अधिक सफल एवं स्कूली बच्चों को गर्म ताजा पोष्टिक रुचिकर भोजन उपलब्ध कराना।

! अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

शासन के नियमानुसार षाषकीय प्राथमिक शालाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक षिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थीयों को शाला में भोजन पकाने हेतु उपयुक्त स्थान एवं साफ सफाई एवं उत्तम गुणवत्ता का भोजन देने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने वाली शालाओं की शासन से सीधे मध्यान्ह भोजन हेतु विद्यार्थीयों की संख्या के आधार पर राषि उपलब्ध कराई जाती है।

! पात्रता निषिचित करने के लिए मानदण्ड

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पात्रता सभी शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थीयों के लिये है।

! दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राषि का विवरण हो)

प्रति विद्यार्थी 1.25 रू0 प्रतिदिन की दर से (सभी शैक्षणक दिवसो पर)

! अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया

शासन द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय एवं शासन से अनुदान प्रपत करने वाली शालाओं को है। राषि सीधे पालक षिक्षक संघ के खाते में जमा कराई जाती है

! आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करें

! आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करे

जिला षि0 अधि0/मु0 का0 अधि0 जिला पं0 /कलेक्टर

! आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत निधारित नियमानुसार

! अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत निधारित नियमानुसार

! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अनुसार आवेदन का प्रारूप
! संलग्नको की सूची

अधिनियम 2005 के नियमानुसार
! संलग्नको का प्रारूप

अधिनियम 2005 के नियमानुसार

! प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें

जिला शिक्षा अधिकारी / मु0का0अधि0जि0पं0 / कलेक्टर
! उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इत्यादि)

अधिनियम 2005 के नियमानुसार ! लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)
जिले की 932 शासकीय/षासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शाला में उपस्थित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थी
विभाग द्वारा प्रदत्त लाभार्थी का अनुदान की बल्लियत पात्रता का निवास
क्रमांक नाम राशि आधार

जिला शहर

मोहल्ला/गाँव मकान न !

कार्यक्रम/योजना का नाम

5. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना । !

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा

कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा भारत शासन द्वारा समय सीमा निर्धारित की जाती है ।

! कार्यक्रम का उद्देश्य

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्व-सहायता समूह में संगठित कर उनको प्रशिक्षण, बैंक ऋण तथा बुनियादी सुविधाएं एवं विपणन की व्यवस्था कर गरीबी रेखा से उपर लाना है ताकि प्रदाय अस्तियों लंबे समय तक आय सुनिश्चित हो सकें । !

कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)-

वर्ष 2004-05 में शासन द्वारा 114.59 लाख ऋण एवं अनुदान वितरण का लक्ष्य किया गया था। जिसके विरुद्ध 137.03 लाख का ऋण एवं अनुदान सहायता विभिन्न बैंको से प्रदाय किया गया। इसमें 35 स्वरोजगारी लाभान्वित हुए। !

लाभार्थी की पात्रता

शासन द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान कराती है। इस पहचान प्रक्रिया में शासन द्वारा मापदंड निर्धारित है। उसके अनुसार जो पात्र पाये जाते हैं उन्हीं परिवारों को इस योजना में लाभान्वित किया जाता है।

! पूर्वापेक्षाएं

पूर्व में आई.आर.डी.पी. ट्रायसेम, उन्नत टूल किट्स, गंगा कल्याण योजना जैसी योजनाएँ संचालित थीं। उन योजनाओं की को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1/4/99 से प्रारंभ कर यह आषा शासन द्वारा प्रकट की गई की इससे अधिक से अधिक परिवार लाभान्वित होकर गरीबी रेखा से उपर उठ सकेंगे। !

अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

समूह की द्वितीय ग्रेडिंग होने के पश्चात बैंक द्वारा समूहों को चयनित गतिविधियों में आर्थिक सहायता परियोजना लागत अनुसार प्रदाय करते हैं। अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु समूह के द्वारा लेखा जोखा तथा लेन-देन के आधार पर संबंधित बैंक प्रबंधक, जनपद सीईओ तथा संबंधित सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा समूहों की ग्रेडिंग की जाती है, पहली ग्रेडिंग पास होने पर 25,000/-रुपये की राशि(15,000/- बैंक ऋण तथा 10,000/-अनुदान) दी जाती है। समूहों की पहली ग्रेडिंग समूह गठन के छेः माह पश्चात की जाती है।

समूह की दूसरी ग्रेडिंग पहली ग्रेडिंग के पश्चात न्यूनतम छेः माह की अवधि के बाद ही की जा सकती है। दूसरी ग्रेडिंग के समय संबंधित शाखा प्रबंधक, जनपद सीईओ, संबंधित एडीईओ समूह के द्वारा संधारित पंजी, आपस में लेन-देन तथा खाते में उपलब्ध बकाया राशि के आधार पर दिया जाता है। चूंकि एक बैंक में प्रतिवर्ष सीमित लक्ष्य होने के कारण सबसे उत्तम प्रथम या द्वितीय समूह को ही ग्रेडिंग की जाती है। दूसरी ग्रेडिंग के पश्चात बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। जिला पंचायत द्वारा अनुदान की राशि सम्मिलित की जाती है। !

पात्रता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड

जो समूह द्वितीय ग्रेडिंग में बैंक द्वारा सफल पाये जाते हैं प्राथमिकता के आधार पर उन समूहों को ऋण के लिए पात्र पाया जाता है। !

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)

स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत परियोजना लागत के 30 प्रतिषत के एक समान दर से अनुदान दी जाती है। जो अधिकतम 7500/-रूपये होते हैं।
किन्तु

अनु0जाति, अनु0जन जाति तथा विकलांगों के मामले में यह क्रमशः 50 प्रतिषत तथा 10,000/-रूपये होगी। स्व सहायता समूहों के लिए योजना लागत के 50 प्रतिषत के बराबर या प्रतिव्यक्ति 10,000/-रूपये की सब्सीडी या 1.25 लाख इनसे जो भी कम हो, सिलाई परियोजनाओं के लिए सब्सीडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है। सब्सीडी बैंक इन्टेड । !

अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया

भारत एवं राज्य शासन से प्राप्त राशि बैंकों की लिंक शाखा में जमा कराई जाती है। बैंक शाखा द्वारा ऋण वितरण के पश्चात लिंक शाखा से पात्रतानुसार अनुदान स्वयं आहरित करती है।

! आवेदन करने के लिए कहाँ किससे सम्पर्क करे

जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक विकास विस्तार अधिकारी/जिला पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। !

आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो)

आवेदन पत्र फार्म जिला/जनपद पंचायत द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

!

अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)

बैंक नियमानुसार !

! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताए कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)

जिला पंचायत द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित जनपदों में प्रदाय करके तथा इन आवेदन पत्रों को संबंधित क्षेत्र के सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा भरा जाता है।

संलग्नको की सूची

मुख्यतः खाता खोलते समय समूह बैठक का प्रस्ताव अध्यक्ष एवं सचिव का फोटों संबंधित सहायक वि0विकास अधि0 का प्रमाणीकरण एवं राषन कार्ड की छायाप्रति तथा बैंक द्वारा चाहे गये अन्य दस्तावेज !

संलग्नको का प्रारूप

बैंकों, समूह एवं जनपद कार्यालय में उपलब्ध है
!

प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें

प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर जनपद/जिला पंचायत कार्यालय एवं संबंधित बैंक में संपर्क कर सकते हैं।

! उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)

शासन द्वारा जिला एवं ब्लाक स्तर पर उपलब्ध राशि का वितरण किया जाना नहीं किया जाता है। प्रतिवर्ष शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तदनुसार वर्ष 05-06 के लिए कमष: 49.99 लाख का प्रावधान है।

! लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

प्रारूप में संलग्न है

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक जिला	लाभार्थी का नाम	अनुदान राशि	की बल्लियत	पात्रता का आधार	निवास		
	शहर		मोहल्ला/गाँव	मकान न.			
1.	म्नीराम	10,000/-	किशन	90	भोपाल	—	हरीपुरा
2	बद्री	10,000/-	पृथ्वी	96	भोपाल	—	हरीपुरा
3	कनीराम	10,000/-	पृथ्वी	97	भोपाल	—	हरीपुरा
4	भावसिंह	हरीपुरा	दीपाजी	69	भोपाल	—	—
	10,000/-						
5	लालूसिंह	10,000/-	भवानीसिंह	91	भोपाल	—	हरीपुरा
6	कैलाश	10,000/-	मनीराम	87	भोपाल	—	हरीपुरा
7	गेंदालाल	10,000/-	देवानी	86	भोपाल	—	हरीपुरा
8	नथू	10,000/-	नानाजी	83	भोपाल	—	हरीपुरा
9	छीपाजी	10,000/-	मेघाजी	71	भोपाल	—	हरीपुरा
10	रधुनाथ	10,000/-	नानाजी	73	भोपाल	—	हरीपुरा
11	भारतसिंह	45,000/-	नाथूलाल	03	भोपाल	—	देहरिया कला
12	भगवतसिंह	देहरिया कला	हरीराम	02	भोपाल	—	—
		45,000/-					
13	सुरेश	45,000/-	नन्नूलाल	01	भोपाल	—	देहरिया कला
14.	फूलबती बाई	45,000/-	मानसिंह	08	भोपाल	—	देहरिया कला
15.	श्राजमल	45,000/-	नन्नूलाल	04	भोपाल	—	देहरिया कला
16.	जयसिंह	45,000/-	मोतीलाल	05	भोपाल	—	देहरिया कला

17.	ळनुमत	20,000 / -	प्यारजी	07	भोपाल	-	देहरिया कला
18.	गुलाब	20,000 / -	हीरालाल	भोपाल	-	-	अमरपुरा
19.	दशरथ	30,000 / -	मिट्टूलाल	24	भोपाल	-	सेमरी बाज्यापात
20.	सुशीलाबाई	25,000 / -	रमेश	13	भोपाल	-	खारपा
21.	पुनियाबाई	10,000 / -	स्व. हरिकिषन	04	भोपाल	-	सेमरी बाज
22.	अमीन खॉ	7500 / -	शेखउमर	48	भोपाल	-	मुगालिया छाप
23.	श्रीमती कमलेश बाई	10,000 / -	रामसिंह	16	भोपाल	-	छान
24.	श्री वहीदखॉ	10,000 / -	मोहम्मद	खॉ 29	भोपाल	-	छान
25.	श्री भागीरथ	10,000 / -	देवाजी	17	भोपाल	-	छान
26.	मागीलाल	छान	हीराश्री	15	भोपाल	-	-
27.	छेवीसिंह	10,000 / -	मागीलाल	19	भोपाल	-	छान
28.	श्री प्रहलाद	10,000 / -	रतनलाल	20	भोपाल	-	छान
29.	रम्माबाई	जगन्नाथ	10	भोपाल	-	-	छान
30.	रतनलाल	10,000 / -	जगन्नाथ	11	भोपाल	-	छान
31.	जेसिंह	10,000 / -	रतनसिंह	12	भोपाल	-	छान
32.	न्दू	10,000 / -	रतनसिंह	13	भोपाल	-	छान
33.	भूलाल	10,000 / -	हल्कूराम	भोपाल	-	-	बगरसिया
34.	श्री मांगीलाल	7500 / -	पन्नलाल	9	भोपाल	-	लखापुरा
35.	श्री रामचन्द्र	25,000 / -	काशीराम	61	भोपाल	-	बकानिया
36.	श्रीमती सरजूबाई	10,000 / -	भवरजी	11	भोपाल	-	खेतलाखेडी
37.	श्रीमती सिपराबाई	10,000 / -	जशरथ	04	भोपाल	-	खेतलाखेडी
38.	श्रीमती मत्याबाई	10,000 / -	भगवान सिंह	01	भोपाल	-	-,,-
39.	श्रीमती रामप्यारी बाई	10000 / -	गोविन्द	03	भोपाल	-	-,,-
40.	श्रीमती सीताबाई	10000 / -	प्रीतमसिंह	05	भोपाल	-	-,,-

41	श्रीमती भोपाल राजलबाई	10000 /-	केशरी सिंह	06	भोपाल	-	-,-
42	श्रीमती वाचोबाई	10000 /-	ध्रुवसिंह	14	भोपाल	-	-,-
43	श्रीमती चतरीबाई	10000 /-	राजाराम	09	भोपाल	-	-,-
44	श्रीमती - सोदरबाई	10000 /-	हरीसिंह	02	भोपाल	-	-,-
45	श्री गोकल	25,000 /-	देवकरन	14	भोपाल	-	लखापुरा
46	श्री मोतीलाल	25,000 /-	सुखाराम	02	भोपाल	-	-,-
47	श्रीमती - सावित्रीबाई	25,000 /-	शंकरलाल	28	भोपाल	-	-,-
48	श्रीमती इमरतबाई	25,000 /-	मूलचंद	29	भोपाल	-	-,-
49.	श्रीमती सम्पतबाई	20,000 /-	सुन्दर	लाल	भोपाल	-	बगरोदा
50	श्रीमती नर्बदीबाई	20,000 /-	नन्नूलाल	54	भोपाल	-	बगरोदा
51	श्री पन्नालाल 20,000 /-	सेमरीखुर्द	गोरेलाल	23	भोपाल	-	-
52	सुनीताबाई	10000 /-	शिवचरन	03	भोपाल	-	अकबरपुर
53	सुनीताबाई	10000 /-	मोहन	35	भोपाल	-	-,-
54	नीतूबाई	-,-	राजेश	65	भोपाल	-	-
55	सुगनाबाई	10000 /-	सुमेरसिंह	116	भोपाल	-	-,-
56	विमलाबाई	10000 /-	श्यामलाल	113	भोपाल	-	-,-
57	सुन्नीबाई	10000 /-	रघुवीर	02	भोपाल	-	-
-,- 58	हंसोबाई	10000 /-	प्रभूलाल	66	भोपाल	-	-,-
59	लियाकत	10000 /-	कलन्दर	01	भोपाल	-	कलखेडा
60	श्रफीक	10000 /-	अल्लूखॉ	22	भोपाल	-	-,-
61	टल्ताफ	10000 /-	हसनखॉ	13	भोपाल	-	-,-
62	खाजावक्स	10000 /-	शेख मो.	08	भोपाल	-	-,-
63	मुन्नालाल	10000 /-	हरलाल	37	भोपाल	-	-,-
64	बाबूलाल	10000 /-	गंगाराम	21	भोपाल	-	मलीखेडी
65	नौषेखॉ	10000 /-	शेखचॉद	18	भोपाल	-	-,-
66	शफीक	10000 /-	शेखलाल	05	भोपाल	-	-,-
67	टब्राहीम	10000 /-	शेखवक्ष	04	भोपाल	-	-,-

68	लालमोहम्मद	10000/-	अहमदखॉ	15	भोपाल	-	-	-
69	नीलेश	20000/-	रामदयाल	28	भोपाल	-	सुरैया	नगर
70	कैलाश	20000/-	बटनलाल	29	भोपाल	-	-	-
71	कमलसिंह	20000/-	रेवाराम	30	भोपाल	-	-	-
-	72	प्रकाश	20000/-	मोतीलाल	31	भोपाल	-	-
73	शांतिबाई	20000/-	गोरेलाल	32	भोपाल	-	-	-
74	मांगीलाल	20000/-	देवीराम	07	भोपाल	-	सेवनिया	
75	भ्रमनारायण	20000/-	गजाराम	33	भोपाल	-	सुरैयानगर	
76	बटनलाल	20000/-	34	भोपाल	-	सुरैयानगर		

अध्याय-14 (मैनुअल-13)

रियायतो, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

अध्याय-14 (मैनुअल-13) में उल्लेखित रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों से संबंधित कोई कार्यक्रम/योजना लोक

प्राधिकरण में संचालित नहीं है, अतः उसके प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण संबंधी जानकारी निरंक है।

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।

! कार्यक्रम का नाम

! प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)

! उद्देश्य

! लक्ष्य (विगत वर्ष 2004-05 में)

! पात्रता

! पात्रता का आधार

! पूर्वापेक्षाएं

!

प्राप्त करने के प्रक्रिया

! रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा

! आवेदन शुल्क

! आवेदन पत्र का प्रारूप

! संलग्नों की सूची

! संलग्नों का प्रारूप

! प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)
विभाग द्वारा प्रदत्त प्राप्तिकर्ता का वैधता किस दिनांक तक वल्लियत निवास
कमांक नाम है

जिला शहर मोहल्ला/गाँव मकान न.

! कार्यक्रम का नाम
! प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)
! उद्देश्य
! लक्ष्य (विगत वर्ष 2004-05 में)
! पात्रता
! पात्रता का आधार
!

पूर्वापेक्षाएं

! प्राप्त करने के प्रक्रिया
! रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा
! आवेदन शुल्क
! आवेदन पत्र का प्रारूप
! संलग्नकों की सूची
! संलग्नकों का प्रारूप

! प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)
विभाग द्वारा प्रदत्त प्राप्तिकर्ता का वैधता किस दिनांक तक वल्लियत निवास
कमांक नाम है

जिला शहर मोहल्ला/गाँव मकान न.

! कार्यक्रम का नाम
! प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)
! उद्देश्य
!

लक्ष्य (विगत वर्ष में)

! पात्रता
! पात्रता का आधार
! पूर्वापेक्षाएं
! प्राप्त करने के प्रक्रिया
! रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा

- ! आवेदन शुल्क
- ! आवेदन पत्र का प्रारूप
- ! संलग्नकों की सूची
- ! संलग्नकों का प्रारूप

! प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)
विभाग द्वारा प्रदत्त प्राप्तिकर्ता का वैधता किस दिनांक तक वल्लियत निवास
कमांक नाम है

जिला शहर मोहल्ला/गाँव मकान न.

अध्याय-15 (मैनुअल-14) कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

- 15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करावें।
भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के संपादन हेतु समय-समय पर जारी दिषा निर्देश/मानक एवं आदेश जिनका कार्यक्रमवार विस्तृत विवरण संबंधित कक्ष प्रभारियों के पास उपलब्ध है।

अध्याय-16 (मैनुअल-15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

- 16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो।
लोक प्राधिकरण में संचालित ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राधिकरण के वेब साईट प्रूचडीवचंसण्दपबण्पद (इलेक्ट्रानिक फार्मेट) पर उपलब्ध है।

अध्याय-17 (मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

- ! सूचना पटल ! अभिलेखों का निरीक्षण ! उपलब्ध विभागीय मैनुअल
- ! दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- ! लोक प्राधिकरण की वेबसाइट
- ! अन्य प्रचार-प्रसार के साधन

अध्याय-18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियां 18.1 लोक प्राधिकरण के जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

क

प्रश्न

उत्तर

1. लोक प्राधिकरण में वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। लोक प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए सम्पूर्ण रोजगार योजना स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास, ग्रामीण आवास योजना, इत्यादि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

2.

योजनान्तर्गत लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत को आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

! आवेदन पत्र :- शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर

! शुल्क :- शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ! सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से माँगी जाये-कुछ टिप्स :- माँगी जाने वाली जानकारी का पूर्ण ब्योरा, पेज क्रमांक के उल्लेख सहित तथा कितनी प्रति चाहिये का उल्लेख भी अवश्य करें । 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में

! सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया :-

सूचना नियत समय पर प्राप्त न होने पर कलेक्टर जिला भोपाल को अपील कर सकते हैं । ! प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण : कोई नहीं ! पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) : लागू नहीं ! अनुदान/सहायता (यदि हो तो) : लागू नहीं ! दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का ! आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू

- नहीं ! अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं ! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे) : लागू नहीं ! संलग्नों का सूची : लागू नहीं ! संलग्नों का प्रारूप : लागू नहीं ! प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य : लागू नहीं ! प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा : कोई नहीं ! प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य : कोई नहीं ! प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) : कोई नहीं ! लाभार्थी की पात्रता : लागू नहीं ! विवरण) : लागू नहीं ! अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया : लागू नहीं ! आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करे : लागू नहीं ! आवेदन करने की प्रक्रिया : लागू नहीं ! चयन प्रक्रिया : लागू नहीं ! प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो) : लागू नहीं ! प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका : लागू नहीं ! विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण : लागू नहीं
- 18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के संबंध में जो की मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हो
- ! प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि का नाम व विवरण : कोई नहीं ! प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता : लागू नहीं ! आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करे : लागू नहीं
- ! आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं ! अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो) : लागू नहीं ! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख) करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें। : लागू नहीं ! संलग्नों की सूची : लागू नहीं ! संलग्नों का प्रारूप : लागू नहीं ! आवेदन करने की प्रक्रिया : लागू नहीं ! आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है) : लागू नहीं ! आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात् प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि : लागू नहीं !

प्रमाण-पत्र के प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो) : लागू नहीं !
नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो) : लागू नहीं ! प्रभावी रहने की समय सीमा
(यदि हो तो)

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

लोक प्राधिकरण में किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं होता।

- ! पंजीयन का उद्देश्य
- ! आवेदक की पात्रता
- ! पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)
- ! आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें।
- ! आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- ! अन्य शुल्क (जहां उचित हो)
- ! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)
- ! संलग्नों की सूची
- ! संलग्नों का प्रारूप
- ! आवेदन करने की प्रक्रिया
- ! आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दे जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है)
- ! नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)

18.6 लोक प्राधिकरण (इनदपबपचंस बतचवतजपवदए ज्तंकम जंगए म्दजमतजंपदउमदज जंग मजबण) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में

- ! टैक्स का नाम व विवरण : लागू नहीं
- ! टैक्स लेने का उद्देश्य : लागू नहीं
- ! टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया : लागू नहीं
- ! बड़े ;उंरवतद्ध डिफाल्टर्स की सूची : लागू नहीं

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद/न्व्स/द्वारा दी जा सकती है। ! आवेदक की पात्रता : लागू नहीं ! पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो) : लागू नहीं ! संलग्नों की सूची : लागू नहीं ! संलग्नों का प्रारूप : लागू नहीं आवेदन करने की प्रक्रिया

- ! आवेदन करने के लिए कहाँ/किससे सम्पर्क करें : लागू नहीं
- ! आवेदन शुल्क (जहां उचित हो) : लागू नहीं
- ! अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो) : लागू नहीं

! आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें) : लागू नहीं

आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात् लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती है) : लागू नहीं

! बिल में प्रयोग किये गये शब्दों का विवरण : लागू नहीं

! बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना : लागू नहीं

! टेरिफ तथा अन्य देय : लागू नहीं

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण लोक प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केवल उसे सौंपी गई योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण किया जाता है।